दुग्ध सहकारी समितियाँ – समस्यायें और सम्भावनाए

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी को
एम. फिल. उपाधि के लिए प्रस्तुत

लघु शोध निबंध

1990 - 91

निर्देशक :
डा. ए. पी. श्रीवास्तव
एम. ए., डी. फिल
रीडर
ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी (उ. प्र.)

प्रेषक :
मुकेश चन्द द्विवेदी

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश चन्द्र द्विवेदी ने दुग्ध सहकारी समितियां, समस्याये और सम्भावनायें विषय पर लघु शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन में पूरा किया है जो विभाग में एम. फिल. उपाधि के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह लघु शोध प्रबन्ध उक्त उपाधि के सभी आवश्यक शर्तों एवं आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह कानपुर देहात जनपद में कार्यरत " दुग्ध सहकारी समितियों" के यूनिट सर्वेक्षण पर आधारित है ।

(डा० ए. पी. श्रीवास्तव)
रीडर
ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग
बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी ।

-: अनुक्रमणिका :-

परिशिष्ट

-: तालिका संख्या :-

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या.

प्रस्तावना

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्धक " कानपुर देहात जनपद में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितितियो, समस्यायें और सम्भावनायें " जनपद के अमरौधा विकास खण्ड में कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों से सम्बन्धित है। कृषि के पश्चात् पशुपालन बड़ा उद्यम है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है पशु पालन कृषि के साथ- साथ किया जाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की एक निश्चित जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय भी है। पशुओं से प्राप्त उत्पाद, विशेषकर दूध के कुशल तथा व्यवस्थित विपणन व्यवस्था की आवश्यकता के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। यहां उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनो के दृष्टिकोण से आवश्यक है। उत्पादक को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होना चाहिए तथा उपभोक्ता को उत्तम गुणात्मक उत्पादन प्राप्त होना चाहिए। उत्पादक द्वारा उत्पादन लागत को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाता है। दूध की बिक्री के लिए उत्पादक को जगह जगह घूमना पड़ता है ऐसी स्थिति में सहकारी संगठनों या ऐसे संगठनों, जिनके द्वारा पूरे उत्पादन को खरीद कर उसे उचित मूल्य दिया जा सकें, का विशेष महत्व है। इस दिशा में सहकारी संगठनों की भूमिका अहम है क्योंकि सहकारिता का उद्देश्य सदस्यों की सदस्यों द्वारा सदस्यों के हित में कार्य करना है। अतः सदस्यों को हित को ध्यान में रखकर सहकारी समितियों द्वारा उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है।

दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां आसपास के किसानों व दुग्ध उत्पादकों को दूध खरीद कर उन्हें शहरी क्षेत्रों या उन क्षेत्रों में भेजने का प्रयास करती है जहां उसकी उचित मांग होती है तथा उनकी आर्थिक दृष्टिकोण से बिक्री करना लाभदायक होता है। यद्यपि उन्हें व्यक्तिगत व्यापारियों से स्पर्धा करनी होती है फिर इस दिशा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां सराहनीय कार्य कर रही है ।

प्रस्तुत अध्ययन आठ अध्यायों में विभक्त है। अमरौधा विकास खण्ड में कार्यरत दस दुग्ध सहकारी समितियों का सर्वेक्षण करके उनकी आर्थिक स्थिति क्रियाकलापों कार्य प्रणाली, उनकी सफलताओं व विफलताओं पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि इन सतितियों का कार्यकाल अधिक बड़ा नही है बल्कि इनकी शैशवास्था कहा जा सकता है। पर इनके द्वारा असंगठित कृषि क्षेत्र के दूसरे बड़े व्यवसाय पशु पालन को संगठित रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्ययन के अन्तिम अध्याय में इन समितियों की समस्याओं की ओर प्रकाश डाला गया है तथा इन्हें अधिक सफलता पूर्वक कार्य करने की दिशा में कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये गये है।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध डा0 ए0 पी0 श्रीवास्तव रीडर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग के निर्देशन में पूरा किया गया है। मैं उनके योग्य निर्देशन, मार्ग दर्शन एवं सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ बिना उनके उत्साह एवं मार्ग दर्शन के प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध का पूरा होना कठिन था । मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूँ ।

अध्याय एक - कानपुर देहात जनपद

आर्थिक व सामाजिक दशायें

स्वतन्त्रता प्राप्ति के चार दशक व्यतीत होने पर भी समाज सुधारकों, अन्वेषकों, नियोजकों तथा शोधकर्ताओं के अथक प्रयासों के बावजूद राष्ट्र का सन्तुलित विकास अपेक्षित लक्ष्यों तक नहीं हो पाया है, इसका एक सैद्धान्तिक कारण व्यक्ति से समाज और क्षेत्र से राष्ट्र के विकास की उपादेयता को उपेक्षित करना ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने स्वयं कहा था कि - " स्वतन्त्रता का आरम्भ धरातल से होना चाहिए ।" इसी बिन्दु को दृष्टि में रखकर राष्ट्र के उन्नयन हेतु क्रमानुसार उसकी इकाई क्षेत्रीय विकास को नियोजित ढंग से विकसित करना होगा ।

क्षेत्रीय उन्नयन हेतु वहाँ के नागरिकों को कार्य के अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधायें प्रदान करनी होगी । जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा हो सकें । वास्तव में यह कार्य मात्र सरकारी नीतियों, प्रयासों व योजनाओं से पूर्ण नही हो सकता है, बल्कि एक- एक व्यक्ति मिलकर एकादास होकर जब तक । एक सबके लिए और सब एक के लिए । की भावना से कार्य नहीं करते पूर्ण नहीं हो सकता। यह भावना न केवल एकता व सहयोग को जन्म देती है वरन् उस राष्ट्र की आर्थिक, सामा--जिक , राजनीतिक तस्वीर को ही बदल देती है। वास्तव में यही भावना सहकारिता को जन्म देती है।

स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि का मत था कि " सहकारिता आन्दो--लन हमारे विकास प्रयासों में आत्म निर्भरता की ओर एक रचनात्मक कदम है।" वास्तव में एक व्यक्ति की कल्पना सम्पूर्ण समाज से अलग करके उस व्यक्ति के विकास की बात तो सोची ही नहीं जा सकती बल्कि उस अकेले व्यक्ति को सम्पूर्ण समाज से अलग रहकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तक को पूर्ण करने में कठिनाई महसूस होगी ।

ऐसी स्थिति में जब हम सम्पूर्ण राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में विचार करते है तो भारत जैसे निर्धन देश में, जिसकी कि लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, पूँजी की अल्पता है, रोजगार के अवसर कम है, आदि ज्वलन्त समस्यायें है, विकास का एक ही माध्यम बचता है - " सहकारिता " । इस संदर्भ में कृषि वित्त उप समिति ने विचार व्यक्त किया था कि " सहकारिता का विकास कृषि साख की समस्याओं का विशेष रूप में और ग्रामीर्ण अर्थ व्यवस्था की समस्याओं का सामान्य रूप में सर्वोत्तम एवं सबसे स्थाई समाधान प्रस्तुत करेगा ।"

भारत में सहकारिता का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जबकि अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर यहाँ की परम्परावादी अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योग इग्लैण्ड की बड़ी-2 मिलों तथा फैक्टरियों की प्रति-स्पर्द्धा में अधिक समय तक चल न सकें । फलस्वरूप कारीगर तथा शिल्प कार अपने अपने जीवन यापन के लिए कृषि कार्य करने लगें । ब्रिटिश राज्य ने भूमि कर सुगमता से प्राप्त करने के लिए जमीदारी प्रथा प्रारम्भ की इस प्रथा ने भारतीय कृषकों को आर्थिक स्थिति काफी दयनीय कर दी। ऐसी स्थिति में निर्धन और दरिद्र किसानों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा निश्चित समय में लगान देने के लिए महाजनों व साहूकारों का सहारा लेना पड़ता था । धीरे-2 साहूकार व महाजन ग्रामीण जन जीवन पर छा गये और कृषक वर्ग उनके द्वारा दिये गये ऋण की श्रृंखला में पूर्णतया जकड़ गया । सर्व प्रथम राना डे, सर विलियम वैडरवर्न ने सहकारी साख समितियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया किन्तु इस दिशा में उचित एवं महत्व-पूर्ण कदम उठाने का श्रेय मद्रास की प्रान्तीय सरकार को है जिसने सन् 1862 में सर फ्रेडरिक निकल्सन को सहकारी साख के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए नियुक्त किया। सर फ्रेडरिक निकल्सन एवं सर एडवर्ड लॉ समिति की सिफा-रिशों के आधार पर सन् 1904 में " सहकारी साख समितियों का अधिनियम " पारित हुआ और इसी अधिनियम के साथ सहकारिता की नींव पड़ी ।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में केवल सहकारी साख समितियों का ही विकास हो सका था, किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य, समग्र विकास, रखा गया और इसी के सन्दर्भ में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थायें विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय- समय पर स्थापित की गई । वर्तमान समय में भारत में मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन के उन्नयन, रोजगार सृजन, ग्रामीण जनता की आय वृद्धि, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने आदि लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कृषि साख समितियां, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, विपणन समितियां, सहकारी विधायन समितियां, उपभोक्ता सहकारी समितियां, औद्योगिकसहकारी समितियां, बुनकर समितियां , गृह निर्माण सहकारी समितियां आदि स्थापित हुई ।

भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मेंआमूलचूक परिवर्तन कैसे लाया जा, जबकि जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। कृषि क्षेत्र की सीमितता दूसरी ओर भारतीय जनसंख्या की निरन्तर भारी वृद्धि । ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि कृषि प्रणाली में सुधार किया जाये साथ ही रोजगार के अन्य अवसरों का सृजन किया जाये । भारतीय कृषि जो आज भी परम्परागत तरीकों से की जाती है, कम उत्पादकता सिचाई की कमी, रोजगार के कम अवसर आदि विशेषताओं में कमी कर वैज्ञानिक खेती की तरीकों को अपनाने हेतु वित्त की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है और यह कार्य कृषि साख सहकारी समितियां सफलता पूर्वक कर सकती है तो दूसरी ओर कृषि पर निर्भरता कम करने, ग्रामीण अदृश्य व प्रत्यक्ष बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाना होगा । पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार शिला है, कृषि के लिए शक्ति साधन, ग्रामीण परिवहन का सुलभ साधन खेतो के लिए खाद , दूध, चमड़ा आदि प्रदान कर पशुधन जीवित पर्यन्त ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास हेतु एक सशक्त भूमिका निभाते है किन्तु विडम्बना ही कही जा सकती है कि इतना महत्व पूर्ण योगदान होते हुए भी भारतीय पशु जो संख्यात्मक दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते है, कम उत्पादकता, कमजोर, अस्वस्थ कम जीवन आदि विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है इसका मुख्य कारण भारतीय पशु

मुख्य रूप से कृषि कार्य हेतु पाले जाते है उद्योग के रूप में नही ! किन्तु यदि ग्रामीणांचल में अतिरिक्त रोजगार के रूप में पशुपालन को विकसत करना है तथा पशुपालको के दुग्ध की उचित कीमत दिलानी है तो दुग्ध व्यवसाय को सहकारी रूप में करना होगा । अर्थात् ग्रामीणांचलों में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को विकसीत करना होगा । यद्दपि इस काफी प्रयास हुआ है किन्तु वास्तव में वर्तमान विकास को शैशवावस्था में ही कहा जा सकता है । दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की हमारे देश में क्या सम्भावनाये व समस्यायें है ? पर विचार करने हेतु राष्ट्र की इकाई क्षेत्रीय विकास, के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन हेतु जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा क्षेत्र को चुना गया है। अतः दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की सम्भावनाओं व समस्याओं पर विचार करने के पूर्व जनपद कानपुर देहात की आर्थिक व सामाजिक स्थिति क्या है? पर विचार करना होगा ।

जनपद कानपुर का विभाजन शहर और देहात के नाम से दो जनपदों में 9 जून 1976 को किया गया था । तदुउपरांत अपरिहार्य कारणों से 12 जुलाई 1977 को दोनो जनपदों को एक में मिलाते हुए जनपद कानपुर बना दिया गया । जनपद के दूर दराज के अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोडने तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी लाने हेतु 23 नवम्बर 1981 को पुनः दो जनपद कानपुर नगर व कानपुर देहात बनाये गये। जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत एक तहसील कानपुर व तीन विकास खण्ड सम्मलित किये गये तथा जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत 5 तहसीलें व 17 विकास खण्ड रखे गये । जनपद कानपुर देहात का मुख्यालय फिलहाल कानपुर शहर में ही स्थित है मुख्यालय बदलने का मामला शासन के पास विचाराधीन है।

जनपद कानपुर देहात गंगा तथा यमुना नदी के दोआब के निचले भाग में स्थित है । इस जनपद की सीमायें प्रदेश के 7 जनपदों फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, इटावा, जालौन तथा हमीरपुर से मिली हुई है । कानपुर नगर इटावा, जालौन तथा हमीरपुर से मिली हुई है। कानपुर मण्डल के इस जनपद के

के दक्षिण पूर्व में फतेहपुर उत्तर पूर्व में कानपुर नगर, उत्तर में हरदोई उत्तर पश्चिम में फर्रुखाबाद, पश्चिम में इटावा, दक्षिण पश्चिम में जालौन तथा दक्षिण पश्चिम में जालौन एवं हमीरपुर जिला स्थित है। जनपद की दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम सीमा यमुना नदी द्वारा एवं उत्तर की सीमा गंगा नदी द्वारा निर्धारित होती है। इन दो प्रमुख नदियों के अतिरिक्त कानपुर देहात जनपद में 6 नदियां - ईशन नदी, पाण्डु नदी, रिन्द नदी, सेंगुर नदी, उत्तरी नोन नदी तथा दक्षिणी नोन नदी प्रवाहित हो रही है।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद का भौगोलिक क्षेत्र 5136 वर्ग कि.मी. है जो प्रदेश का लगभग 1.64 % है। खनिज की दृष्टि से जनपद खनिज विहीन है। जनपद में गंगानदी की बालू एवं यमुना नदी की मौरंग भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपलब्ध है। जनपद के दक्षिण पश्चिम सम्भाग को छोड़कर सभी सम्भागों का जल स्तर कम गहराई पर पाया जाता है, किन्तु दक्षिण पश्चिम सम्भाग में मुख्यत: विकास खण्ड अमरौधा, घाटमपुर, राजपुर, मलासा तथा डेरापुर में जल स्तर काफी गहराई पर मिलता है। यमुना नदी के किनारे के क्षेत्र में कहीं- कहीं 300 फीट तक बोरिंग करने पर भूगर्भ जल प्राप्त होता है।

जनपद की भूमि बनावट एवं उसका रंग अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-2 है। उत्तर में गंगा एवं ईसन नदी के महत्व का एक पतला टुकड़ा, जिसकी मिट्टी लोम वर्ग की है, परन्तु काफी उपजाऊ है। दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकांश भूमि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भूमि की तरह की पाई जाती है तथा यमुना नदी के किनारे की भूमि ऊँची नीची बीहड़ो की तरह है। उत्तर पश्चिम भाग रिन्द पाण्डु एवं सेंगुर नदियों के मध्य फैला हुआ है। इस सम्भाग में मटियार, दोमट एवं ऊसर भूमि पाई जाती है। सेंगुर नदी के किनारे विकास खण्ड डेरापुर में बीहड तथा ऊँची नीची जमीन पाई जाती है। पूर्वी भाग गंगा, पाण्डु एवं ईशान नदियों के बीच का है। इसमें बलुई दोमट, मटियार तथा कहीं-कहीं पर ऊसर भूमि भी पाई जाती है। जनपद में वर्षा का सामान्य औसत 805 मि.मी. है परन्तु वास्तविक रूप से वर्षा कभी कम तथा कभी अधिक होती है।

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से जनपद को पाँच तहसीलों - घाटमपुर भोगनीपुर, अकबरपुर, डेरापुर, बिल्हौर तथा 17 विकास खण्डों - घाटमपुर, पतारा, भीतरगांव, अमरोधा, राजपुर, मलासा, मैंथा, सखनखेड़ा, डेरापुर, रसूलाबाद, झींझक, सन्दलपुर, बिल्हौर , चौबेपुर, ककवन, शिवराजपुर तथा 165 न्याय पंचायतों 1317 ग्राम सभायें 1762 राजस्वय ग्राम जिसमें 1664 आबाद ग्राम और 138 गैर आबाद ग्राम जिसमें 1664 आबाद ग्राम है। जनपद में नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत 3 नगर पालिकायें तथा 7 टाउन एरिया क्षेत्र है।

तालिका संख्या :- एक

जनपद कानपुर देहात का प्रशासनिक संगठन

क्र0 सं0	तहसील	विकास खण्ड	खण्डवार कुल ग्रामों की सं0	खण्डवार आबाद ग्रामों की संख्या	खण्डवार नगरपालिका का नाम	खण्डवार टाउन एरिया का नाम
1.	बिल्हौर	बिल्हौर	119	97	बिल्हौर	-
		चौबेपुर	124	103	-	-
		ककवन	93	90	-	-
		शिवराजपुर	127	118	-	शिवराजपुर
2.	डेरापुर	डेरापुर	81	78	-	-
		रसूलाबाद	94	88	-	-
		झींझक	76	73	-	झींझक
		सन्दलपुर	92	85	-	-
3.	अकबरपुर	अकबरपुर	106	101	-	अकबरपुर एवं रूरा
		मैथा	116	112	-	शिवली
		सरवनखेड़ा	75	75	-	-
4.	भोगनीपुर	अमरौधा	120	106	पुखरायां	अमरौधा
	।पुखरायां।	राजपुर	119	102	-	सिकन्दरा
		मलासा	100	79	-	-
5.	घाटमपुर	घाटमपुर	128	118	घाटमपुर	-
		पतारा	72	68	-	-
		भीतरगांव	120	113	-	-
कुल	5	17	1762	1764	3	7

जनपद के कुल क्षेत्रफल 5136 वर्ग कि.मी. में से 361 हजार हेक्टेअर भूभाग कृषि क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त होता है जो कुल क्षेत्रफल का 70.9 % है। कुल कृषि क्षेत्र में 191 हजार हेक्टेअर क्षेत्र शुद्ध सिंचित तथा 248 हजार हेक्टेअर क्षेत्र सकल सिंचित है। इस प्रकार कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 52.9 % भूभाग शुद्ध सिंचित तथा 68.6 % सकल सिंचित है। जनपद में सिचाई के मुख्य साधन नहर व व्यक्तिगत तथा राजकीय नलकूपहै, जनपद में लगभग 1645 कि.मी. लम्बी नहरे है यदि सकल बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल की दृष्टि से विचार किया जाये तो वर्ष 1986-87 में 135 % था। सिचाई की दृष्टि से सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत वर्ष 1986-87 में 129.4 % था। और यदि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बाये क्षेत्रफल पर विचार किया जाये तो यह वर्ष 1986-87 में 52.9 % था। जहाँ तक राजकीय नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत 66.5 है जबकि नलकूपों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का कुल शुद्ध सिचित क्षेत्रफल 30.4 % है।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1791473 है। यदि जनपद की कुल जनसंख्या का लिंग भेद की दृष्टि से विचार करें तो जनपद में 967000 पुरूष तथा 824000 स्त्रियां है। अर्थात् जनपद में कुल जनसंख्या के लगभग 54 % पुरूष तथा 46 %स्त्रियां है तथा यदि स्त्रियों की संख्या का प्रति 1000 पुरूषो के आधार पर विचार करें तो प्रति हजार पुरूष पर लगभग 852 स्त्रियां है। यदि जनपद में प्रति हजार पुरूष पर स्त्रियों की संख्या का देश की स्थिति से तुलना करें तो पता चलता है कि देश में प्रति हजार पुरूष के पीछे 935 स्त्रियां है, इस प्रकार देश की तुलना में जनपद में प्रति 1000 पुरूषो के पीछे 83 स्त्रियां कम है। यदि जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या को निवास करने की दृष्टि से विचार करें तो पता चलता है कि कुल जनसंख्या में से 89110 लोग नगर क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1702363 लोगनिवास करते है, अर्थात् कुल जनसंख्या का लगभग 5 % नगरीय तथा 95 % ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जनपद की कुल जनसंख्या में 429269 व्यक्ति अनुसूचित जाति के है। जो कुल जनसंख्या का 23.96 % है। जनपद में

लगभग सभी धर्म के लोग जैसे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख एवं ईसाई निवास करते है। यदि भाषा की दृष्टि से विचार करतें तो हिन्दी, उर्दू, पंजाबी व बंगाली आदि भाषाओं वाले लोग निवास करते है।

वर्तमान समय में समूचे विश्व के सम्मुख सबसे ज्वलंत समस्या जनसंख्या वृद्धि की है, जो कि प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करती है। हमारा देश भी इस समस्या से अछूता नहीं है। बल्कि एक अहम समस्या के रूप में देश के सम्मुख प्रस्तुत हुई है, जनसंख्या वृद्धि पर विचार करें तो निम्नांकित तस्वीर प्रस्तुत होती है :-

तालिका संख्या - दो

जनपद कानपुर देहात में जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या	एक दशक में जनसंख्या वृद्धि	एक दशक में जनसंख्या वृद्धि % में
1961	1207075		22.8 %
1971	1470397	263325	21.8 %
1981	1791473	321076	21.8 %

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या की वृद्धि 1961 के दशक में 22.8 % 1971 के दशक में 21.8 % तथा 1981 के दशक में 21.8 % रही है इस प्रकार 1981 के दशक की तुलना में 1971 के दशक एवं 1981 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में 10 % की कमी हुई है। यदि जनपद की जनसंख्या वृद्धि की तुलना देश की जनसंख्या वृद्धि से करें तो वर्ष 1981 में देश की जनसंख्या वृद्धि 24 % थी इस प्रकार देश की तुलना में जनपद में 2.2. % कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनपद में जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण स्पष्ट करता है कि जनपद में परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्ण सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित हुआ है। जहां एक ओर जनपद में पूर्व एक दशक

से जनसंख्या वृद्धि एक स्थिर अवस्था में है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनपद का क्षेत्रीय पिछड़ापन जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है बल्कि जो आर्थिक विकास की जनपद में लागू की गई वे क्षेत्र की माँग व आवश्यकता के अनुरूप नही रही है ।

जनपद के जनसंख्या घनत्व पर विचार किया जाये तो वर्ष 1981 में जनपद में प्रति वर्ग कि.मी. पर जनसंख्या घनत्व की तुलना राष्ट्र के घनत्व से करें तो वर्ष 1981 में राष्ट्र का जनसंख्या घनत्व 221 था इस प्रकार राष्ट्र की तुलना में जनपद में जनसंख्या घनत्व 109 अधिक है जो जनपद में जनाधिक्य की समस्या को स्पष्ट करता है।

जनपद की जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता पर विचार किया जाये तो इस उधोगशून्य कृषि प्रधान जनपद में कुल जनसंख्या का 66 % भाग कृषक व 20 % कृषक मजदूर है, इस प्रकार कृषि पर कुल जनसंख्या का 86 % लोगों की आजीविका का साधन कृषि है। जबकि देश की लगभग 70 % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है इस प्रकार देश की तुलना में जनपद की 16 % अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जनपद में एक ओर जनाधिक्य है कृषि पर निर्भरता अधिक है तो दूसरी ओर कृषि उत्पादन का निम्न स्तर है वर्ष 1986-87 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 407 कि.ग्राम था । जो कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था की दृष्टिकोण से कम है।

भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि के बाद जीविका के साधन के रूप में द्वितीय स्थान पशुपालन का है। पशुपालन , पशु संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थानहै किन्तु गुणात्मक दृष्टिकोण से असन्तोषजनक ही नही वरन् अत्यन्त दयनीय स्थिति है एक सर्वे के अनुसार एक भारतीय गाय का औसत उत्पादन 413 पौण्ड प्रति वर्ष है। जबकि अमरीका में यह मात्रा 5000 पौण्ड प्रति वर्ष है। ऐसी स्थिति में पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में एक रोजगार के रूप में लोकप्रिय नहीं हो पाया है। जनपद भी इस स्थिति से अछूता नही है क्योंकि जनपद के 6635 लोग ही इस व्यवसाय से जुडे हुए है जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.37 % है।

यदि जनपद की जनसंख्या की उद्योगों पर निर्भरता पर विचार करें तो शासन द्वारा उद्योगों शून्य घोषित इस जनपद की 2 % जनसंख्या उद्योग धन्धो द्वारा रोजगार प्राप्त करती है। इसी प्रकार अन्य कार्यों जैसे निर्माण, व्यापार व वाणिज्य यातायात संग्रहण एवं संचार कर्मचार आदि कार्यों से कुल जनसंख्या के लगभग 11.63 % लोग अपनी जीविका प्राप्त कर रहे है।

कोई देश उस स्थिति तक अपना समुचित विकास नही कर सकता है जब तक कि उस देश के नागरिक साक्षर न होगें। यदि साक्षरता की दृष्टि से जनपद की जनसंख्या पर विचार करें तो जनपद मेंवर्ष 1981 में कुल 621668 लोग साक्षर थे जो कुल जनसंख्या का 34.7 % है, इसमें 443996 पुरूष व 177672 स्त्रियां साक्षर थी जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 45.9 % एवं 21.6 % है। यदि जनपद में साक्षरता वृद्धि की दृष्टि से विचार करे तो वर्ष 1971 में कुल जनसंख्या के 26.1 % लोग ही साक्षर थे इस प्रकार स्पष्ट है कि एक दशक में जनपद में साक्षरता वृद्धि 13.1 % है। यदि साक्षरता को ग्रामीण व नगरीय दृष्टिकोण से विचार किया जायें तो जनपद की कुल साक्षर जनसंख्या में 581868 ग्रामीण व्यक्ति तथा 39800 नगरीय व्यक्ति साक्षर थे जो कुल ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का क्रमशः 34.2 % एव 44.7 % है। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या 10.5 % अधिक साक्षर है। यदि साक्षरता को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे तो पता चलता है कि वर्ष 1981 में देश में 36.2 % साक्षरता थी इस प्रकार राष्ट्र की तुलना में जनपद में 1.5.% साक्षरता कम है।

शिक्षा व्यवस्था हेतु जनपद में वर्ष 1986-87 में 1260 प्राथमिक विद्यालय 171 जूनियर हाई स्कूल, 95 माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षा हेतु 3 महाविद्यालय प्रशिक्षण हेतु 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 1 राजकीय दीक्षा विद्यालय कार्यरत थे, इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी संचालित है।

किसी भी अर्थ व्यवस्था के आर्थिक विकास में वहाँ की खाद्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है विशेषकर उस स्थिति में जबकि कोई देश एक ओर तो विकासशील हो तो दूसरी ओर देश की जनसंख्या का दो तिहाई से भी अधिक

भाग कृषि पर निर्भर हो इसके अतिरिक्त जनसंख्या की तीव्र वृद्धि विकराल बेरोजगारी समस्या, ठीक कुछ ऐसी ही हमारे देश की तस्वीर है। राष्ट्र का समग्र विकास हो, के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र की इकाई क्षेत्र का विकास हो क्षेत्रीय उन्नयन बहुत कुछ साख संस्थाओं पर निर्भर करता है। यदि जनपद की साख व्यवस्था पर विचार करें तो जनपद में 45 राष्ट्रीयकृत बैंक, 20 जिला सहकारी बैंक, 6 भूमि विकास बैंक, 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 6 अन्य व्यावसायिक बैंक कार्यरत है इसके अतिरिक्त ग्रामीणांचल में साख सुगमता से प्राप्त हो सकें इसी उद्देश्य से 158 प्रारम्भिक कृषि ऋण साख समितियां भी कार्यरत है। यदि जनपद में बैंक व्यवस्था की पर्याप्तता पर विचार किया जाये तो एक बैंक के पीछे लगभग 11065.55 लोग आते है। जो कृषि प्रधान उद्योग शून्य अर्थ व्यवस्था हेतु सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। दूसरी ओर वर्ष 1987-88 में प्रति व्यावसायिक बैंक शाखा पर जनाभार 15910 था ।

विद्वानों के मतानुसार राष्ट्र में परिवहन वही कार्य करता है जो शरीर में धमनियां स्वच्छ रक्त कोशरीर के विभिन्न अंगों में संचालित करती है उसी प्रकार परिवहन साधन एक राष्ट्र के जीवन के लिए आवश्यक उपकरण वस्तुयेंएवं विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते है। वस्तुओं का उत्पादन, विनियम वितरण सभी सुगम परिवहन साधनों पर निर्भर करता है एक प्रकार से किसी राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास में परिवहन साधनों का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि परिवहन साधनों को किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का द्योतक कहा जाये तो अतिशयोक्ति न होगा । परिवहन सुविधा की दृष्टि से जनपद कानपुर देहात में मात्र थल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है वायु व जल परिवहन का पूर्णतया अभाव है। जनपद में थल परिवहन के अन्तर्गत रेलवे व सड़क दोनो परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। जनपद जनपद में देश के अन्य भागों से रेल व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है विश्व में द्वितीय व एशिया में प्रथम स्थान रखने वाला रेल परिवहन की उत्तरी, मध्य व उत्तरी पूर्वी रेलवे तीनों प्रकार के रेल मार्ग जनपद से होकर गुजरते है । उत्तरी रेलवे की प्रमुख रेलवे लाइन दिल्ली से मुगलसराय होते हुए कलकत्ता जाने वाली इस जनपद से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त बड़ी व छोटी रेल लाइनों की ब्रॉच लाइनों से

कानपुर नगर, झाँसी, बाँदा, फर्रुखाबाद, मथुरा व आगरा जनपदों से जुड़ा हुआ है। जनपद में 191 कि.मी. बड़ी रेल लाइन 56 कि.मी. छोटी रेल लाइन तथा कुल 25 रेलवे स्टेशन है, सड़क परिवहन की सुविधा की दृष्टि से जनपद में राष्ट्रीय सड़क नं0 25 जो कानपुर नगर जनपद से झाँसी जनपद को जोड़ती है। पेशावर से कलकत्ता जाने वाली ग्राण्ड ट्रंक रोड भी जनपद के उत्तरी भाग से विकास खण्ड बिल्हौर, चौबेपुर तथा शिवराजपुर से होती हुई जाती है। जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 993 कि.मी. है।

डाक व्यवस्था का व्यापारिक क्षेत्र में अत्याधिक महत्व होता है वैसे भी सामान्य जन जीवन को वर्तमान आधुनिक युग में डाक व्यवस्था के बिना विकसित नहीं कहा जा सकता है। यदि जनपद की डाक व्यवस्था पर विचार किया जाये तो जनपद में 264 डाकघर जनसेवा हेतु कार्यरत है, जिनमें 11 नगरीय व 253 ग्रामीण डाकघर है जनपद में प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या वर्ष 1987-88 में 14.7 थी।

किसी भी राष्ट्र की निरन्तर आर्थिक व सामाजिक प्रगति ही नही, बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी पूर्णतया उस देश की आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा पर निर्भर करती है। सुरक्षा व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी अर्थ व्यवस्था का बहुमुखी विकास भी उतना ही होगा। जनपद की सुरक्षा व्यवस्था पर यदि विचार करतें है तो एक लम्बे समय से दस्यु प्रभावित इस जनपद में कुल 16 पुलिस स्टेशन स्थापित है जिनमें 7 नगरीय व 9 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है।

कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में अभिवृद्धि के साथ-साथ जन समुदाय हेतु उच्च स्तर की सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था पर्याप्त सीमा तक विद्युत उपलब्धता पर निर्भर होती है, इस दृष्टि से जनपद में 10 नगरों व 727 ग्रामों को विद्युत सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 530 हरिजन बस्तियां सम्मलित है।

आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग कहे जाने वाले लोगों की मूलभूत

की दुकाने कार्यरत है, जिनमें 47 दुकाने नगरीय क्षेत्रों तथा 385 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। ग्रामीण बाहुल्य इस जनपद के समुचित विकास हेतु 157 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत है। मात्र वस्तुओं का उत्पादन कर लेना ही किसी क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त नही है, बल्कि आवश्यक है वस्तुओं का उचित वितरण वविनियम इस दृष्टि से प्रतिदिन की आवश्य वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु जनपद के 109 ग्रामों में बाजार लगते है। कृषको को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से शासन द्वारा जनपद में 6 थोक कृषि मंडिया स्थापित की गई है।

ग्रामों व आर्थिक रूप से पिछड़ लोगों व कृषको की समस्याये उनके स्तर पर ही हो सके, इस दृष्टि से जनपद में 6 क्रय विक्रय सहकारी समितियां, 158 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, 25 संयुक्त कृषि समितियां, 20 सदस्य सहकारी समितियां, 231 प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां, 23 बुनकरों की प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियां तथा 23 प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियां संचालित है।

तालिका संख्या - तीन

जनपद कानपुर देहात में कार्यरत विभिन्न सहकारी- समितियां

क्रमांक	सहकारी समिति का नाम	संख्या
1.	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	6
2.	प्रारम्भिक कृषि साख सहकारी समितियां	158
3.	संयुक्त कृषि समितियां	25
4.	सदस्य सहकारी समितियां	20
5.	प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां	231
6.	बुनकरों की प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियां	23
7.	प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियां	26

भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले "पशुधन" की दृष्टि से जनपद में कुल गोजातीय पशु 328128 तथा महिष जातीय कुल पशु 257093, कुल भेड़ 29665, कुल बकरा व बकरियां 221639, कुल घोड़े टट्टू 1272, कुल सूकर 27410 तथा अन्य पशु 1820 इस प्रकार कुल पशु 867027 है। जनपद में मुर्गे मुर्गियां एवं चूजे 38685 है। इन पशुओं से जहां एक ओर पौष्टिक आहार प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर ये पशु ग्रामीण परिवहन की धुरी बने हुए है।

भारतीय कृषि पूरी तरह से इन पशुओं पर निर्भर है। जीवन पर्यन्त मानव हेतु आय का श्रोत्र कहे जाने वाले यह पशु जीवित अवस्था में हमें पौष्टिक भोजन जैसे दूध, अण्डा, आदि देते है, तो दूसरी ओर ईंधन व खाद हेतु गोबर प्रदान करते है। मृत्यु के पश्चात् भी इनके शरीर की एक एक वस्तु जैसे सींग, खुर, हड्डी, खाल आदि के द्वारा अतिरिक्त आय प्रदान करते है। मानव जीवन हेतु इतने महत्वपूर्ण इन पशुओं के प्रति राष्ट्र, समाज व व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि इनके स्वास्थय का पूरा पूरा ध्यान रखा जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनपद में वर्ष 1987-88 में 30 पशुओं के चिकित्सालय एवं 95 पशुधन विकास केन्द्र संचालित थे। संख्यात्मक दृष्टि से पशुपालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है किन्तु गुणात्मक दृष्टि से 10वां भी नही है। भारतीय पशुओं की दशा में व उनकी उत्पादकता सुधार की दृष्टि से जनपद में 116 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं उपकेन्द्र, सूकर विकास हेतु 2081 पिगरी यूनिट, कुक्कुट जाति के विकास हेतु 1517 पोल्ट्री यूनिट संचालि है।

तालिका संख्या - चार

जनपद कानपुर देहात में पशुधन एवं कुक्कुट

क्रमांक	पशुधन/ कुक्कुट	संख्या
1.	गोजातीय पशु	328128
2.	महिषि जातीय पशु	257093
3.	भेड़	29665
4.	बकरा व बकरियां	221639
5.	घोड़े व टट्टू	1272
6.	सूकर	27410
7.	अन्य	1820
	कुल पशुधन	867027
8.	मुर्गे/ मुर्गियां/ चूजे	38685
9.	अन्य	367
	कुल कुक्कुट	39052

किसी देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि मात्र से ही उस देश के कृषको की आर्थिक स्थिति में सुधार नही हो जाता, बल्कि कृषि उत्पादन के उचित विपणन पर बहुत कुछ निर्भर होता है। कृषि का कम उत्पादन कृषको की आर्थिक स्थिति को खराब होना, ऋण ग्रस्तता आदि के साथ-2 कृषि उत्पादन के भण्डारण की सुविधा न होना, कुछ मुख्य विशेषतायें है जो भारतीय कृषको को कृषि उत्पादन को फसल उठने से कृषि उत्पादन के उचित भण्डारण की दृष्टि से जनपद में 16 शीत भण्डार एवं 139 ग्रामीण गोदाम संचालित है। कृषि विकास हेतु जनपद में 70 कृषि सेवा केन्द्र, जिसमें 8 एग्रो तथा 62 अन्य इकाइयां कार्यरत है। बीज व उर्वरक की उचित सम्पूर्ति हेतु जनपद में 85 बीज गोदाम । उर्वरक भण्डार स्थापित है , कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जहां उत्तम कोटि के बीज, उर्वरक, सिचाई आदि का महत्व-पूर्ण स्थान होता है वही यह भी आवश्यक है कि फसलों को रोगों व कीटो से बचाया जाये। इस दृष्टि से जनपद में 18 कीट नाशक डिपो कार्यरत है।

विद्युत के वैकल्पित साधन के रूप में गोबर गैस सयन्त्र का महत्वपूर्ण योग--दान है, जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 425 गोबर गैस सयन्त्र स्थापित है।

जनपद में यमुना नदी के आसपास 55 हजार हेक्टेअर क्षेत्र बीहड़ के घेरे में है। जहां अधिकांश भूभाग में लम्बे चौडे खार, ऊँची नीची खाई खन्दक पाये जाते है यह बीहड क्षेत्र जहाँ कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी है वही दूसरी ओर डकैतो की शरणस्थली बना हुआ है। शासन द्वारा वर्ष 1969-70 से बीहड़ सुधार हेतु पुखरायां में भूमि संरक्षण अभियन्त्रण इकाई का गठन किया जाता है ताकि बीहड़ क्षेत्र को हरा भरा व उपजाऊ बनाया जा सके साथ ही दस्यु समस्या का भी निराकरण हो सके । बीहड़ क्षेत्र के भूभाग को समतलीकरण, स्थलीकरण, वनीकरण समोच्च रेखीय बांधो के निर्माण आदि विभिन्न पद्धतियों से हरा भरा व उपजाऊ बनाये जाने हेतु अनवरत प्रयास चल रहा है। वर्ष 1971-72 से अब तक 17766 हेक्टेअर क्षेत्र में बीहड़ सुधार का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जनपद के सर्वांगीण विकास हेतु अन्य विभिन्न योजनायें भी चल रही है, आम नागरिक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने व क्षेत्रीय विकास के लिए धन अर्जित करने के उद्देश्य से जनपद में राष्ट्रीय बचत योजना चल रही है। वित्तीय वर्ष 1987-88 में इस योजना के अन्तर्गत कुल रूपया 59039250.00 जमा किया गया जिसमें रूपया 572,34,875.00 रूपया दीर्घकालीन प्रतिभूतियों तथा रूपया 18,04,375.00 अल्पकालीन प्रतिभूतियों में जमा किया था ।

गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन, थकेहारे तथा बेसहारा लोगों के आर्थिक जीवन में नया मोड़ देने के लिए जनपद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना चल रही है। योजना के अन्तर्गत चयनित पात्र परिवारो को रोजगार धन्धा खोलने तथा रोजी रोटी कमाने हेतु ऋण तथा अनुदान उपलब्ध करा--कर लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1987-88 में इस योजना के अन्तर्गत 9151 नये तथा 5607 पुराने परिवारों को 268 लाख 9 हजार रूपये का ऋण तथा 176 लाख 79 हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया कुल लाभान्वित परिवारों में 4591 परिवार अनुसूचित जाति के है।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करने, ग्रामीण आधार भूत ढाचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने तथा निर्धन ग्रामीणों के पोषाहार व रहन सहन के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है इसके अतिरिक्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना भी संचालित है।

मानव जीवन की प्राथमिक एवं न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं में अन्न, जल और वस्त्र के साथ ही आवास सुविधा भी अति आवश्यक है इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जनपद में इन्दिरा आवास योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष औसतन 350 मकानों का निर्माण किया जा

रहा है, वर्ष 1987-88 में 380 आवासों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को निर्बल आवास योजना भी लागू है। वर्ष 1987 -88 में इस योजना के अन्तर्गत 250 मकान निर्मित किये गये ।

अध्याय दो - जनपद की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

किसी देश की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में उस देश केकृषि के इतिहास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति के स्वरूप एवं उसके पशु जीवन से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। किसी भी क्षेत्र में वहाँ की विभिन्न उपजो व पशुओं का चुनाव उस क्षेत्र के स्थानीय स्कन्धों में होता है। मनुष्य अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं अनुभव के द्वारा इनको विभिन्न उपयोगों में लाता है। तथा इसी से अपने समाज की उत्पादन कला व सभ्यता का परिचय देता है। औद्योगिक देशो में भी भूमि सम्बन्धी अपनी- अपनी समस्यायें होती है। सामान्य काल में इन देशो में ऐसी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता पर संकट या सामाजिक उथल पुथल के समय इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।

पौधो को आरोपित करने तथा पशुओं को पालने से मनुष्य की अभिरूचि एवं स्वभाव तथा उसका प्रारम्भिक सामाजिक संगठन, काफी प्रभावित होता है। प्रत्येक क्षेत्र के चारों ओर " जमीन" का एक पेचीदा जाल बना रहता है। जिसमें पौधे जीव जन्तु एवं मानव समूह क्रिया तथा प्रतिक्रिया की जंजीर से जकडे हुए होते है, और जिसको मनुष्य काफी समय के बाद ही पहचान पाता है। परिस्थितियों की इन सदैव व्याप्त जंजीरों में जो परिवर्तनों से परिपूर्ण है सभ्यता को ढालने वाले आवश्यक उपकरण रहते है।

मानव जीवन में कृषि के महत्व की विवेचना करते हुए महान दार्शनिक सुकरात ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि " खेती के पूर्ण रूप से फलते फूलते समय ही सब धन्धे पनपते है परन्तु भूमि को बंजर छोड़ देने से अन्य धन्धो का भी विनाश हो जाता है।

" महान दार्शनिक सुकरात के उक्त उद्गार इस तथ्य से भी उजागर होते है -" विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है केवल 14 % लोग उद्योग में 6 % वाणिज्य व्यवस्था में और शेष 13 % यातायात एवं अन्य व्यवसायों में लगे हुए है " दूसरे शब्दो में इस युग में भी जबकि उद्योग वाणिज्य व्यवसायों एवं नगरीकरण की प्रधानता है। कृषि विश्व के अधिकांश वर्ग के लोगों का प्रमुख पेशा है। इस संदर्भ लार्ड मेयो ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि " भविष्य में अनेक पीढ़ियों तक धन एवं सभ्यता के विकास की दृष्टि से संसार की प्रगति पर निर्भर करेगी । विश्व में सम्भवता कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसका कृषि से प्रत्यक्ष एवं घनिष्ट सम्बन्ध एवं स्वार्थ निहित न हो।" अर्थात् कृषि के बगैर किसी भी अर्थ व्यवस्था की कल्पना यथार्थ नहीं हो सकती है।

कृषि पर विभिन्न देशों की निर्भरता निम्न प्रकार है, जो कृषि .

तालिका संख्या- पाँच

देश	कृषि पर निर्भरता (प्रतिशत में)
जापान	50 %
सोवियत रूस	50 %
पश्चिमी जर्मनी	10 %
फ्रांस	27 %
नीदरलैण्ड	19 %
सं0रा0 अमेरिका	9 %
कनाडा	19 %
अर्जेन्टाइना	25 %
आस्ट्रेलिया	15 %
यू. के.	6 %
चीन	70 %
भारत	76.3 %

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुछ देशों को छोड़कर विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या का प्रमुख धन्धा कृषि ही है। वैसे भी आम लोगों के लिए अन्य की आपूर्ति बिना कृषि के सम्भव हो नहीं है। कृषि पर निर्भरता के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विकसित देशों की तुलना में एशिया तथा अफ्रीका के अधि-कांश विकासशील देशो में आज भी कृषि एक आर्थिक व्यवसाय बना हुआ है परिणाम स्वरूप इन देशों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। दूसरी दृष्टि से कृषि संसार का प्राथमिक उद्योग है। क्योंकि कृषि संसार के एक बड़े समुदाय को रोजगार प्रदान करती है। यह संसार के लोगों को भोजन देने के साथ-साथ बहुत बड़ी मात्रा में उद्योगों हेतु कच्चा माल भी प्रदान करती है। जिससे बड़ी-बड़ी निर्माणशालाओं के यन्त्रों को भोजन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दो में कृषि के द्वारा कच्चे माल का उत्पादन होता है इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों में रोजगार को बनाये रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है । इस प्रकार कृषि की प्रधानता का कुल उत्पादन । राष्ट्रीय आय । के मूल्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है।

कृषि के महत्व को यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो भारत गांवों का देश है। कृषि यहां के लोगों का प्रमुख धन्धा है, विशेषकर ग्रामीणांचल में । वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 54.81 करोड़ थी जो 1977 में 61 करोड़ हो गई तथा वर्ष 1981 में जनगणना 68.38 करोड़ हो गई । देश की कुल जनसंख्या में से केवल 23.7 % शहरो और कस्बों में शेष 76.3 % गांवो में निवास करती है । यदि इस तथ्य को जनपद की जनसंख्या के निवास करने के वर्गी-करण की दृष्टि से देखा जाये तो कुल जनसंख्या का मात्र 5 % जनसंख्या शहरो में और कस्बों में तथा शेष 95 % गांवों में रहती है। इस प्रकार देश की तुलना में जनपद की 18.7 % जनसंख्या शहरो में कम निवास करती है या देश की तुलना में जनपद में गावों में निवास करने वाली जनसंख्या 18.7 % से अधिक है। संक्षेप में देश की तुलना में जनपद की अर्थव्यवस्था अधिक कृषि प्रधान है। यह तथ्य उस स्थिति में और भी स्पष्ट हो जाता है जब राष्ट्रीय जनसंख्या को राज्यों के आधार पर वर्गीकृत करते है। केन्द्र शासित राज्य दिल्ली।जहां पर शहरी जनसंख्या 41 लाख है । को छोड़कर देश में सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है यहां की कुल

जनसंख्या का 34 % भाग शहरो व कस्बों में निवास करती है । 1981-81 के दशक में देश की जनसंख्या में कुल 13.057% करोड़ की वृद्धि हुई अर्थात् जनसंख्या वृद्धि इसी दशक में 21.8 % रही है अर्थात् राष्ट्र की तुलना में जनपद की जनसंख्या वृद्धि 2.95 % कम है इस प्रकार स्पष्ट है कि जहां जनपद राष्ट्रीय विकास की तुलना में 18.7 % अधिक ग्रामीण है या पिछड़ा है वही जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि 2.95 % कम है इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विकास की धीमी गति का जो मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि बतलाया जा रहा है जनपद के अल्प विकास पर लागू नहीं होता है।

देश के बड़े शहरो की कुल संख्या 12 है जिनमें से कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली विश्व के 25 बड़े शहरो में सम्मलित किये जा सकते है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कलकत्ता का 7वां, बम्बई का 12 वां तथा दिल्ली का 21 वां स्थान है। जबकि जनपद में मात्र 5 नगर पालिकायें है जिनका प्रदेश में भी कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अधिक गांव । 112561 । है, जबकि जनपद में कुल गांवो की संख्या 1624 है, जो प्रदेश के कुल गांवों का लगभग 1.44 % है।

पाश्चात्य देशों की परिस्थितियां इससे सर्वथा भिन्न है इन देशों में नगरो में रहने वाले लोगों का प्रतिशत काफी अधिक है जैसे अमेरिका और फ्रांस में 70 % कनाड़ा में 74 % जापान में 68 % रूस में 56 % तथा इंगलैण्ड में 79 % है यही कारण है कि हमारे देश की प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई जैसे प्रान्त जनपद आदि की साधारण समस्यायें पाश्चात्य औद्योगिक देशों की समस्याओं से भिन्न है। दूसरे शब्दो में हमारे यहां पाई जाने वाली ग्रामीण प्रवृत्ति पायी जाने के कारण ही हमारी समस्यायें ओ से भिन्न है। इन समस्याओं को मोटे तौर से दो वर्गों आर्थिक एवं सामाजिक में बांटा जा सकता है। आर्थिक समस्याओं के अन्तर्गत कृषि अर्थव्यवस्था एवं लघुस्तरीय उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं को शामिल किया जाता है तथा सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत उन उपायों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा प्रत्येक ग्रामीण को समाज का प्रमुख एवं उपयोगी अंग बनाया जा सकता है।

औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व तक विश्व के लगभग सभी देशों में कृषि एवं लघु उद्योग ही जनता की प्रमुख आर्थिक क्रियाये थी। परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आज भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्पष्ट करते हुए डा॰ वेरा एन्सटे ने विचार व्यक्त किया था कि " हमारे राष्ट्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि जिस पर सम्पूर्ण देश का जीवन निर्भर है। " तो दूसरे स्थान पर भारतीय कृषिक की प्रशंसा व अनुभव के सन्दर्भ में विचार व्यक्त किया जो भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि के प्राचीनतम इतिहास को भी स्पष्ट करता है - " भारत का किसान जिस तरह अपनी भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रखता है बीज के समय व भूमि की जितनी परख उसको है उतनी अन्य देशों के बहुत कम कृषकों को होती है। " वास्तव में भारतीय अर्थ व्यवस्था को कृषि से आजीविका व रोजगार राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग, उद्योगों के लिए कच्चा माल देशवासियों के लिए भोजन व पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है एक प्रकार से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की आधारशिला है।

भारत में 76.3 % लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि और पशु पालन में लगे हुए है अतः केवल 23.7 % लोग लगभग दूसरे व्यवसायों से जुड़े हुए है। देश की ग्रामीण जनसंख्या का विश्लेषण इस बात को स्पष्ट करता है कि आश्रित सहित प्रत्येक 100 भारतीयों में मुख्य रूप से 47 व्यक्ति खेतिहर किसान किसान, 9 व्यक्ति खेतिहर मजदूर, 13 अकृषक मजदूर और 21 व्यक्ति अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए है। जबकि जनपद में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में 66 व्यक्ति खेतिहर किसान 20 व्यक्ति खेतिहर मजदूर 12 व्यक्ति कृषि कर्मचार, 2 व्यक्ति पारिवारिक उद्योग निर्माण प्रोसेसिंग सर्विस आदि व्यवसाओं में लगे हुए है। इस प्रकार राष्ट्र की तुलना में जनपद में 19 व्यक्ति कृषक , 11 व्यक्ति खेतिहर मजदूर अधिक है। अर्थात् जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 100 व्यक्तियों में 69 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रति 100 व्यक्तियों में 69 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है वही जनपद में तुलनात्मक रूप से प्रति 100 व्यक्तियों में 17 व्यक्तियों का भार कृषि पर अधिक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात एक कृषि प्रधान जनपद है।

जनपद का कुल क्षेत्रफल 5136 वर्ग कि0मी0 है। जिसमें से 360894 हेक्टेअर क्षेत्रफल कृषि के अन्तर्गत प्रयोग किया जाता है जो कुल क्षेत्रफल का 70.9 % है। यदि इस तथ्य को राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करें तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेअर है तथा कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 305 मिलियन हेक्टेअर है जिसमें से 143 मिलियन हेक्टेअर में कृषि की जाती है। जो कुल क्षेत्रफल का 46.9 % है, इस प्रकार जनपद में कुल क्षेत्रफल के 24 % अधिक क्षेत्र में कृषि की जाती है। जो जनपद की कृषि प्रधानता को प्रदर्शित करती है।

जनपद के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से 6908 हेक्टेअर भू क्षेत्र में वन जो कुल क्षेत्रफल का 1.3 % है 12608 हेक्टेअर भूक्षेत्र कृषि योग्य बंजर भूमि जो कुल क्षेत्रफल का 2.4 % 20723 हेक्टेअर परती जो कुल क्षेत्रफल का 2.4 % 20723 हेक्टेअर परती जो कुल क्षेत्रफल का 4 % 17973 हेक्टेअर अन्य परती जो कुल क्षेत्रफल का 3.5 % 46577 हेक्टेअर ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि जो कुल क्षेत्रफल का 9.1 % 36675 हेक्टेअर खेती से अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में आने वाली भूमि जो कुल क्षेत्रफल का 7.2 % 824 हेक्टेअर में चारागाह जो कुल क्षेत्रफल का 0.16 %, 6656 हेक्टेअर में उद्यान वृक्ष जो कुल क्षेत्रफल का 1.3 % है तथा 360894 हेक्टेअर भूमि में कृषि की जाती है जो कुल क्षेत्रफल का 70.9 % है। इस प्रकार सर्वाधिक भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती है। सकल बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये हुए क्षेत्रफल से प्रतिशत जनपद में वर्ष 1986-87 में 135 % था जबकि खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का सकल बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत वर्ष 1986-87 में 86.9% था। जनपद में सकल बोये गये क्षेत्रफल और खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1984-85में सकल बोया हुआ क्षेत्रफल से 134.8 % था। इस प्रकार वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1986-87 में 0.2 % की वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष 1984-85 में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल का सकल बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत 86.5 था जो कि वर्ष 1986-87 में बढ़कर 86.9 % हो गया, इस प्रकार वर्ष 1986-87 में जनपद में खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत 0.4 % की वृद्धि हुई। चूंकि जनपद में भूमि

संरक्षण कार्यक्रम लागू है इस कारण बीहड़ क्षेत्र के समतलीकरण होने से निकट भविष्य में इन भू क्षेत्रों में वृद्धि की सम्भावना है। संक्षेप में सारणी के रूप जनपद कानपुर देहात में कुल क्षेत्रफल में किया जा रहा भूमि उपयोग निम्नवत् है।

जनपद - कानपुर देहात में भूमि उपयोग । हेक्टेअर में ।

तालिका संख्या- छ:

क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	कुल क्षेत्रफल से प्रतिशत
	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	508702	
1.	वन	6908	1.3 %
2.	कृषि योग्य बंजर भूमि	12688	2.4 %
3.	वर्तमान परती	20723	4.0 %
4.	अन्य परती	17973	3.5 %
5.	ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	46573	9.1 %
6.	खेती के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में आने वाली भूमि	36675	7.2 %
7.	चारागाह	824	0.2 %
8.	उद्यान वृक्षों का क्षेत्रफल	6656	1.3 %
9.	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	360894	70.9 %
10.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	126707	

निरन्तर जनसंख्या वृद्धि और कृषि क्षेत्र की सीमितता दोनो ऐसे तथ्य है, जो निकट भविष्य में सम्पूर्ण जनसंख्या हेतु खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या को भारतीय अर्थ व्यवस्था के सम्मुख अत्यन्त विकराल रूप में उत्पन्न कर देगी लगातार कृषि कार्य

से भूमि की उर्वरता में निरन्तर होती कमी ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है। खाद एवं उर्वरक एक सीमा तक इस समस्या को वर्तमान में हल किये हुए है। यदि जनपद में खाद एवं उर्वरक के प्रयोग पर विचार किया जाये तो वर्ष 1986-87 में प्रति हेक्टेअर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर उर्वरक का उपभोग 64 कि.ग्रा. था जबकि वर्ष 1984-85 में 68.6 कि.ग्रा. था। इस प्रकार वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1986-87 में 4.6 कि.ग्रा. उर्वरक कम उपयोग में लाया गया जो आवश्यकतानुकूल खाद्यान्न आपूर्ति के लिए एक चिन्ता का विषय है। वर्तमान समय में उर्वरक का प्रयोग से प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जनपद में वर्ष 1983-1984 में प्रति हेक्टेअर उर्वरक का प्रयोग 68.6 कि.ग्रा. था तो उसी वर्ष प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 430 कि.ग्रा. था जबकि वर्ष 1986-87 में उर्वरक प्रयोग घटकर 64.0 कि.ग्रा. रह गया तो उत्पादन भी प्रति व्यक्ति घटकर 407 कि.ग्रा. रह गया। वर्ष 1987-88 में शासन के निर्देशानुसार उर्वरक वितरण की एक नई योजना संचालित की गई है जिसके अन्तर्गत कृषक प्रति 5 कि.मी. के अन्तराल पर उर्वरक खरीद सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीणांचलो में 54 बिक्री केन्द्र प्रारम्भ किये गये है जनपद में सिचाई सुविधाओं में वृद्धि, प्रमाणित बीजो के वितरण, ब्लाक प्रदर्शन आदि कार्य क्रम लागू करके कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है।

जनपद- कानपुर देहात में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत औसत उत्पादन

तालिका संख्या- सात

क्रमांक	फसल	औसत उत्पादन प्रति हैक्टेअर / कुन्टल	
		1983-84	1985-86
1.	गेहूँ	22.10	25.9
2.	जौ	21.5	15.4
3.	चना	8.7	12.1
4.	मटर	9.0	15.3
5.	धान	14.2	16.9
6.	मक्का	9.8	16.2
7.	ज्वार	5.4	8.0
8.	बाजरा	8.5	8.7
9.	मसूर	5.8	9.0
10.	मूँगफली	9.4	10.3

जनपद में अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न उर्वरता वाली विभिन्न -2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। जनपद का उत्तरी भाग जो गंगा व ईसन नदियों के मध्य का है, लोम वर्ग की काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जनपद का दक्षिणी पश्चिमी भाग की मिट्टी बुन्देलखण्ड क्षेत्र की तरह है। उत्तरी पश्चिमी भाग में मटियार दोमट एवं ऊसर भूमि पाई जाती है, जबकि पूर्वी भाग में बलुई दोमट मटियार व कहीं-कहीं ऊसर भूमि पाई जाती है।

किसी देश का समुचित विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ के कृषकों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। जनपद में जहाँ एक ओर उर्वर भूमि के कारण कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रति हेक्टेअर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादन का मूल्य (प्रचलित भाव पर) भी बढ़ रहा है। वर्ष 1984-85 में यह मूल्य रुपया 4222.00 था जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर रुपया 5399.00 हो गया। इस प्रकार कृषि उत्पादन के मूल्य में प्रति हेक्टेअर सकल बोये गये क्षेत्रफल के अनुसार दो वर्षों के अन्तराल में रुपया 1177.00 की वृद्धि हुई ।

कृषि उत्पादन सिंचाई सुविधा द्वारा विशेष रूप से प्रभावित होता है। जनपद के शुद्ध बोये गये 361 हजार हेक्टेअर क्षेत्रफल में से 191 हजार हेक्टेअर शुद्ध सिंचित तथा 248 हजार हेक्टेअर सकल सिंचित है। सकल सिंचित क्षेत्रफल का सकल बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत वर्ष 1985-86 में 49.4 % था जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 63.6 % हो गया अर्थात् एक वर्ष के अन्तराल में 14.2 % की वृद्धि हुई इसी प्रकार वर्ष 1985-86 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का सकल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत 53.0 था जो वर्ष 1986-87 में अपरिहार्य कारणों से घटकर 52.7 % रह गया इस प्रकार स्पष्ट है कि जनपद में जहाँ एक ओर सकल सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में निरन्तर कमी, जबकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि करना आवश्यक है।

सिंचाई हेतु जनपद में 6 नहर प्रणालियाँ उपलब्ध है जिनके द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 66. 5 % भू क्षेत्र सिंचित किया जा रहा है। इस कार्य को जनपद में फैली 1645 कि.मी. लम्बी नहरें पूरा कर रही है। जनपद में सिंचाई का दूसरा मुख्य साधन राजकीय नलकूप है वर्ष 1987-88 में कुल राजकीय नलकूपों की संख्या 382 थी इन नलकूपों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 30.4 % भूक्षेत्र सिंचित किया जातासिंचित शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 3.1% भूक्षेत्र निजी नलकूपों व तालाबों आदि के द्वारा सिंचित किया जाता है । जबकि कुल प्रतिवेदित कृषि

क्षेत्र का 37.5 % भूभाग पूर्णतया असिंचित है। यदि जनपद के सिंचित क्षेत्र की तुलना देश के सिंचित क्षेत्र से करें तो भारत के कुल 173.9 मिलियन हेक्टेअर कृषि भूमि में 63.3 मिलियन हेक्टेअर भूमि में सिंचित सुविधायें उपलब्ध है जबकि वास्तव में 58.55 मिलियन हेक्टेअर भूमि सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। जो कुल कृषि योग्य भूमि का 36 % है। शेष 64 % कृषि योग्य भूमि असिंचित है तथा पूरी तरह से वर्षा, वर्षा पर निर्भर है। इस प्रकार राष्ट्र की तुलना में जनपद में 30.5 % कृषि योग्य भूमि अधिक सिंचित है। सिंचाई साधनों में नहरों, राजकीय नलकूपों के अतिरिक्त 307 पक्के कुँए, 269 रहट, 1788 भूस्तरीय पम्प सैट, 21543 बोरिंग पर लगे पम्प सैट तथा 12953 निजी नलकूप प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

जनपद की उर्वर भूमि में रबी, खरीफ, और जायद की फसलों के अतिरिक्त गन्ने की खेती भी पूर्ण सफलता पूर्वक की जा रही है। कुल प्रतिवेदित कृषि भूमि में से 276421 हेक्टेअर में रबी फसल, 205508 हेक्टेअर में खरीफ फसल 5576 हेक्टेअर में जायद फसल तथा 86 हेक्टेअर में गन्ना की फसल की जा रही है, इस प्रकार सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पर रबी फसल उत्पन्न की जा रही है, जबकि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत 35.1 % है।

जनपद में उत्पन्न होने वाली फसलों पर यदि विचार किया जाये तो धान्य फसलों में धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, दलहनी फसलों में उर्द, मूँग, मसूर, चना, मटर, अरहर, मोंठ, तिलहनी फसलों में - सरसों, लाही, अलसी, तिल, अण्डी, मूँगफली इसके अतिरिक्त तम्बाकू, जूट, कपास, सनई, हल्दी सोयाबीन, गन्ना आदि पूर्ण सफलता पूर्वक उत्पन्न की जा रही है।

जनपद में क्रियात्मक जोतों का आकार बहुत बड़ा नही है। 3.0 से 5.0 हेक्टेअर क्षेत्र के 72231 जोत आकार पाये जाते है। जबकि बहुत छोटे-2 जोत आकारों की संख्या काफी अधिक है 1.0 हेक्टेअर से कम जोत आकारों की संख्या 243623 है।

जनपद में परम्परागत कृषि प्रणाली की प्रधानता है, क्योंकि सर्वाधिक कृषि कार्य लकड़ी के देशी हल द्वारा सम्पन्न किये जाते है। जनपद में 114296 लकड़ी के देशी हल, 51235 लोहे के हल, 68798 उन्नत हैरो व, कल्टीवेटर तथा 3933 उन्नत थ्रेसिंग मशीन प्रयोग की जा रही है। इनके अतिरिक्त 55 स्प्रेयर, 16952 उन्नत बुआई यन्त्र तथा 1661 ट्रैक्टर कृषि कार्य सम्पन्न करने में प्रयोग किये जाते है।

उपर्युक्त विभिन्न तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात एक कृषि प्रधान जनपद है। जनपद में कृषि एक ओर जहाँ अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन है वही दूसरी ओर आम जनता को खाद्यान्न की आपूर्ति, पशुओं हेतु चारा, जनपद की आय का प्रमुख स्रोत प्राकृतिक सम्पदा के विदोहन का साधन उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति मीलों हेतु धान, चीनी मिल धाटमपुर हेतु गन्ना । व्यापार व वाणिज्य का मुख्य साधन की पूर्ति करती है । इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि जनपद कानपुर देहात का अस्तित्व यहाँ की कृषि में निहित है।

अध्याय तीन - विकास खण्ड अमरौधा

कानपुर देहात जनपद का विकास खण्ड अमरौधा जनपद कानपुर देहात व तहसील पुखरायां मुख्यालय से क्रमशः 65 व 5 कि.मी. दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाले एक लिंक रोड पर 2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। इस प्रकार विकास खण्ड अमरौधा जनपद मुख्यालय से कुल 67% कि.मी. व तहसील मुख्यालय से कुल 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विकास खण्ड की सीमायें 3 विकास खण्ड क्रमशः राजपुर, मलासा व घाटमपुर तथा एक जनपद जालौन से मिली हुई है।

विकास खण्ड का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 35722 हेक्टेअर है, जो जनपद के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 7.02 % है। विकास खण्ड के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का विभिन्न कार्यों हेतु भूमि उपयोग निम्न तालिका के अनुसार किया जा रहा है -

विकास खण्ड में भूमि उपयोग

तालिका संख्या- आठ

क्रमांक	भूमि	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	कुल प्रतिवेदित क्षे.फ. से प्रतिशत
1.	कृषि योग्य बंजर भूमि	924	2.5 %
2.	वर्तमानपरती	1052	2.9 %
3.	अन्य परती	823	2.3 %
4.	ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	1091	3.0 %
5.	खेती के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में आने वाली भूमि	2746	7.6 %
6.	चारागाह	30	0.08 %
7.	उद्यान वृक्षों का क्षेत्रफल	1424	3.9 %
8.	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	27870	78.0 %
9.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	5429	15.1 %

इस प्रकार विकास खण्ड के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से 924 हेक्टेअर भू क्षेत्र कृषि योंग्य बंजर है, जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 2.5 % है। 1052 हेक्टेअर भूमि वर्तमान परती है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 2.9 % है। 823 हेक्टेअर अन्य परती है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 2.3 % है । 1091 हेक्टेअर ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 3 % है। 2746 हेक्टेअर खेती के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में आने वाली भूमि जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 7.6 % है। 30 हेक्टेअर में चारागाह, जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का .08 % है। 1424 हेक्टेअर में उद्यान वृक्षों का क्षेत्रफल जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 3.9 % है। 27870 हेक्टेअर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 78 % है। यद्दपि वन वर्षा व पर्यावरण रक्षा में अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। किन्तु विकास खण्ड अमरौधा में वनो का पूर्णतया अभाव है। शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 5429 हेक्टेअर है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 5429 हेक्टेअर है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 15.1 % तथा शुद्ध बाये गये क्षेत्रफल 19.4 % है।

विकास खण्ड में रबी, खरीफ व जायद तीनो फसलों का उत्पादन सफलता पूर्वक उगाई जाती है । सकल बोये गये क्षेत्रफल में से रबी की फसल 19242 हेक्टेअर में, व जायद की फसल 180 हेक्टेअर में की जाती है। गन्ने की खेती की जाती है।

फसल उत्पादन में सिचाई का एक महत्व पूर्ण स्थान होता है। यदि सिचाई सुविधा के दृष्टिकोण से विकास खण्ड की स्थिति पर विचार करें तो सकल बोये गये क्षेत्रफल में 9396 हेक्टेअर शुद्ध सिचिंत तथा 11079 हेक्टेअर सकल सिचिंत क्षेत्रफल है। जो सकल बोये गये क्षेत्रफल का क्रमशः 33.7 % व 117.9 % है। जबकि जनपद में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 52.9 % तथा सकल सिचित 129.4 % है, इस प्रकार विकास खण्ड में जनपद की तुलना में शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल 19.2 % कम तथा सकल सिंचित 11.5 % कम है। विकासखण्ड में सिचाई के मुख्य साधन नहर, नलकूप, कुँए

तालाब, झील, पोखर आदि है। इन सिंचाई साधनो का विकास खण्ड की सिंचाई में कितना योगदान है, इस दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि सकल सिंचित क्षेत्रफल में 6834 हेक्टेअर नहरों द्वारा 2177 हेक्टेअर नलकूपों द्वारा 258 हेक्टेअर कुँओं द्वारा, 41 हेक्टेअर तालाबों/ झीलों व पोखरों द्वारा तथा 179 हेक्टेअर अन्य साधनो द्वारा सिंचाई की जाती है।

वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 418 कि.ग्रा. था जबकि जनपद में इसी वर्ष प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 407 कि.ग्रा. रहा, इस प्रकार जनपद की तुलना में विकास खण्ड में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 11 कि.ग्रा. अधिक रहा है। यदि विकास खण्ड में सिंचाई के साधन जनपद की तुलना में समान होते तो निश्चय ही यह उत्पादन कही और अधिक होता । यदि प्रति हेक्टेअर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादन का मूल्य प्रचलित भावों की दृष्टि से विचार करें तो वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड में 5180 रूपया था जबकि जनपद में 5399 रूपया था । इस प्रकार जनपद की तुलना में विकास खण्ड में कृषि उत्पादन का मूल्य 219=00 कम रहा है। यदि इस प्रति हेक्टेअर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादन के मूल्यों के उतार चढ़ावो पर विचार करें तो विकास खण्ड में वर्ष 1984-85 में कृषि उत्पादन मूल्य 3888 रूपया था । जो वर्ष 1986-87 की तुलना में 1292 रूपया कम था अर्थात् दो वर्षों के अन्तराल में कृषि उत्पादन के मूल्यो में रूपया 1292.00 की वृद्धि हुई ।

उर्वरक से जहां एक ओर कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है वही दूसरी ओर भूमि की उर्वरता बनाये रखने में मददगार होते है। उर्वरक प्रयोग की दृष्टि से यदि विकास खण्ड की स्थिति पर विचार किया जाये तो वर्ष 1984-85 में प्रति हेक्टेअर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर उर्वरक का उपभोग 27.9 कि.ग्रा. था जो वर्ष 1986-87 में अपरिहार्य कारणों से घटकर 25.7 कि.ग्रा. रह गया। यदि विकासखण्ड की स्थिति की तुलना जनपद में उर्वरक उपभोग से करें तो वर्ष 1984-85 में प्रति हेक्टेअर 68.6 कि.ग्रा. था । जो वर्ष 1986-87 में अपरिहार्य कारणों से घटकर 64.0

कि.ग्रा. रह गया, इस प्रकार यह कहा जा सकता है यदि विकास खण्ड में उर्वरक का उपभोग घटा तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनपद पर भी पड़ा किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1986-87 में जनपद की तुलना में विकास खण्ड में 38.3 कि.ग्रा./ हैक्टेअर कम उर्वरक का उपभोग किया गया । वर्तमान समय में खाद्यान्न समस्या की दृष्टि से यह एक चिन्ता का विषय है।

विद्युत समस्या की दृष्टि से विकास खण्ड जनपद की तुलना में अधिक विकसित है। जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड में कुल आबाद ग्रामों में से 41.5 % ग्राम विद्युतीकरण थे। इस प्रकार जनपद की तुलना में विकास खण्ड के कुल आबाद ग्रामों का 1.5 % ग्राम अधिक विद्युतीकृत है। विकास खण्ड के कुल विद्युतीकरण ग्रामों में से 36 हरिजन बस्तियां थी ।

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से विकास खण्ड को 10 न्याय पंचायतों 87 ग्राम सभाओं, 1 नगर पालिका, नगर क्षेत्र, 106 आबाद ग्राम कुल 120 ग्रामों में संगठित किया गया है। विकास खण्ड का समग्र विकास हो, इस उद्देश्य हेतु 10 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विकासखण्ड की स्थिति पर विचार किया जाये तो वर्ष 1987 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 108394 है जो जनपद की कुल जनसंख्या का 6.05 % है। विकास खण्ड की कुल जनसंख्या में 21.3 % अनुसूचित जाति के लोग है। यदि विकास खण्ड की जनसंख्या का लिंगानुपात की दृष्टि से विचार किया जाये तो कुल जनसंख्या में 58262 पुरुष है जो कुल जनसंख्या का 53.7 % है, तथा कुल जनसंख्या में 50132 स्त्रियां है जो कुल जनसंख्या 46.3 % है। जनसंख्या वृद्धि जो वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व के सभी देशों की एक प्रमुख समस्या है, यदि जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विकास खण्ड की स्थिति पर विचार करें तो एक दशक में विकास खण्ड में जनसंख्या वृद्धि 14.1 % रही है। यदि विकास खण्ड की जनसंख्या वृद्धि की तुलना जनपद की जनसंख्या वृद्धि से करें तो जनपद की जनसंख्या

वृद्धि 21.8 % रही है, इस प्रकार जनपद की तुलना में विकास खण्ड में जनसंख्या वृद्धि 7.7 % कम रही है।

यदि विकास खण्ड की जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण की दृष्टि से विचार किया जाये तो निम्नांकित स्थिति स्पष्ट होती है -

तालिका संख्या - नौ

विकास खण्ड - अमरौधा की जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

क्रमांक	कर्मकार	संख्या
1.	कृषक	18065
2.	कृषक मजदूर	7533
3.	उद्योग पारिवारिक	676
4.	अन्य कार्य करने वाले	3428
5.	कुल मुख्य कर्मकार	29702
6.	सीमान्त कर्मकार	1542
	कुल	31244

विकास खण्ड में 18065 कृषक है जो विकास खण्ड की कुल जनसंख्या का 17 % है, जबकि जनपद में 66 % व्यक्ति कृषक है, इस प्रकार जनपद की तुलना में

में विकास खण्ड में 49 % व्यक्ति कम कृषक है। विकास खण्ड में 7533 कृषक मजदूर है जो विकास खण्ड की कुल जनसंख्या का 7 % है जबकि जनपद में कुल जनसंख्या का 20 % कृषक है इस प्रकार जनपद की तुलना में विकासखण्ड में 13 % कम कृषक मजदूर है। इस प्रकार विकासखण्ड की कुल जनसंख्या में 24 % लोग कृषि से आजीविका प्राप्त कर रहे है जबकि जनपद में कुल जनसंख्या में 86 % लोगों की आजीविका का साधन कृषि बनी हुई है। अतः जनपद की तुलना में विकास खण्ड में 62 % कम व्यक्ति कृषि पर निर्भर है।

भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है, यद्दपि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में गुणात्मक रूप से पशु पालन अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, किन्तु अनेक भूमि हीन व्यक्तियों की आजीविका का एक मात्र सहारा बना हुआ है। यदि विकासखण्ड में पशुपालन से जुडे व्यक्तियों पर विचार किया जाये तो जुडे मात्र 263 व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़े हुए है जिनका कि पशु-ही एक मात्र आजीविका का सहारा है । इस प्रकार यह संख्या कुल जनसंख्या का 25 % है।

अंग्रेजी शासन काल में भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग पूर्ण रूप से नष्ट हो गये थे किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इनके विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। कुटीर एवं लघु उद्योगों ने भूमिहीन लोगों के लिए एक नये रोजगार का सृजन किया है। यद्दपि जनपद- कानपुर देहात के अलग से आस्तित्व में आने से पूर्व यह क्षेत्र पूर्णतया उद्योग शून्य था। किन्तु वर्तमान में इस ओर प्रयास हुआ है। विकासखण्ड के 676 व्यक्ति पारिवारिक उद्योग से जुडे हुए है। जो विकास खण्ड की सम्पूर्ण जनसंख्या का 0.75 % है।

विकासखण्ड में कुल मुख्य कर्मकारों की संख्या 29702 तथा सीमान्त कर्म-कारों की संख्या 1542 है जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 28 % एवं 2 % है, जो जनपद के मुख्य कर्मकारों व सीमान्त कर्मचारों का क्रमशः % एवं % है। कुल

जनसंख्या के शेष 42.75 % व्यक्ति यातायात संग्रहण एवं संचार, व्यापार एवं वाणिज्य, निर्माण कार्य, खान खोदने तथा गैर पारिवारिक उद्योगों व अन्य कार्यों में लगे हुए है।

किसी भी अर्थ व्यवस्था में जनसंख्या का विशेष महत्व होता है क्योंकि जनसंख्या मात्र समाज या देश का निर्माण ही नहीं करती बल्कि यदि अर्थव्यवस्था को उत्पादन की एक प्रक्रिया मान ले तो यही जनसंख्या श्रम, जो कि उत्पत्ति का एक प्रमुख साधन होता है, का भी कार्य करती है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या समाज का श्रम का ही यथार्थ रूप कहा जाता है किन्तु वर्तमान समय में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि ने जनाधिक्य की समस्या पैदा कर दी है। वास्तव में अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त करने हेतु उत्पत्ति के आवश्यक होता साधनों का उचित अनुपात में संयोजन बहुत ही आवश्यक होता है। यदि उत्पत्ति का एक भी साधन समुचित अनुपात से अधिक हो गया हो तो उस स्थिति में उत्पादन अधिकतम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि श्रम अर्थात् जनसंख्या अर्थ व्यवस्था में जब उत्पत्ति के अन्य साधनों जैसे पूँजी भूमि आदि की अपेक्षा अनुपात में अधिक हो जाती है उस स्थिति में जनाधिक्य की समस्या पैदा हो जाती है जिस कारण अनेक अर्थ व्यवस्थायें किये प्रयास के अनुरूप आर्थिक विकास नहीं कर पा रही है। क्योंकि प्रति वर्ग कि.मी. में यदि जनभार अधिक है अर्थात् जनसंख्या घनत्व अधिक है तो आर्थिक विकास की अधिक सम्भावनाये उस क्षेत्र में कम हो जायेगी यदि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विकास खण्ड की स्थिति पर विचार किया जाये तो वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार विकास खण्ड में प्रति वर्ग कि.मी. जनसंख्या घनत्व 304 है जबकि जनपद का 330 व राष्ट्र का 349 है इस प्रकार विकास खण्ड में जनसंख्या घनत्व जनपद की तुलना में 26 तथा राष्ट्र की तुलना में 45 कम है। यदि विकास खण्ड के जनसंख्या घनत्व का अन्य विकास खण्डों के जनसंख्या घनत्व से तुलना करें तो ज्ञात होता है कि अन्य विकास खण्डों का जनसंख्या घनत्व अमरौधा की तुलना में काफी अधिक है जैसा कि निम्नांकित तालिका

तालिका में दिये गये कुछ मुख्य विकास खण्डों के जनसंख्या घनत्व से स्पष्ट होता है :-

तालिका संख्या- दस

जनपद के कुछ विकास खण्डों का जनसंख्या घनत्व

क्रमांक	विकासखण्ड	जनसंख्या घनत्व
1.	भीतरगांव	378
2.	पतारा	401
3.	राजपुर	374
4.	सखनखेड़ा	375
5.	चौबेपुर	396
6.	अमरौधा	304

किसी भी देश का समग्र विकास बहुत कुछ साक्षरता पर निर्भर करता है, साक्षरता दृष्टि से यदि विकास खण्ड की स्थिति पर विचार करें तो वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार विकास खण्ड में 32526 व्यक्ति साक्षर है जिसमें 24512 पुरुष एवं 8014 स्त्रियां साक्षर है। अर्थात् विकास खण्ड की कुल जनसंख्या में 30 % व्यक्ति साक्षर है, जबकि कुल जनसंख्या में 42.1 % पुरुष व 16 % स्त्रियां साक्षर है यदि जनपद की साक्षरता से विकास खण्ड की साक्षरता की तुलना की जाये तो जनपद में साक्षरता प्रतिशत 34.7 % है । इस प्रकार जनपद की तुलना में विकास खण्ड में 4.7 % साक्षरता कम है।

विकास खण्ड में लगभग सभी फसल सफलता पूर्वक की जा रही है जैसे धान्य फसलों के अन्तर्गत धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, आदि दलहन फसलों के अन्तर्गत उर्द, मूँग, मसूर, चना, मटर, अरहर, आदि तिलहन फसलों के अन्तर्गत लाही, तिल, अण्डी, मूँगफली आदि तथा अन्य फसलों में गन्ना, कपास, सनई, सोयाबीन, आदि विकास खण्ड की कृषि प्रणाली पर यदि विचार करे तो विकास खण्ड में कृषि जुताई हेतु लकड़ी के हल 6304 लोहे को हल 2978 उन्नत हैरो एवं कल्टीवेटर 3871, फसल साफ करने हेतु थ्रेसिंग मशीन 236, बुवाई हेतु उन्नत बुवाई यन्त्र 968, स्प्रेयर 2, तथा ट्रैक्टर 86 है। जो जनपद के कुल ट्रैक्टरो की संख्या का लगभग 6 % है।

फसलों को सुरक्षित रखने हेतु विकास खण्ड में 2 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित है उन्नत बीजों व उर्वरकों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु 7 बीज गोदाम उर्वरक भण्डार है। इनके अतिरिक्त 10 ग्रामीण गोदाम भी है। विकास खण्ड में फसल रोग व कीट नियन्त्रण हेतु कीट नाशक डिपों, उन्नत बीज उत्पादन हेतु, बीज फार्म, फसल उत्पादन को सुरक्षित रखने हेतु शीत भण्डारो का अभाव है।

भारतीय कृषि की मेरूदण्ड कहलाने वाले पशुओ के सम्बन्ध में यदि विकास खण्ड की स्थिति पर विचार किया जाये तो वर्ष 1982 की पशुगणना के अनुसार विकास खण्ड में गोजातीय पशु 17114 है जो कि जनपद के गोजातीय पशुओं का 5.2 % है। महिष वंशीय पशुओं की संख्या 15573 है जो जनपद के महिष वंशीय पशुओं का 6.05 % है इस प्रकार विकास खण्ड में कुल गो व महिष वंशीय पशु 32687 है जोजनपद के गो व महिष वंशीय पशुओं की संख्या का 5.5 % है विकास खण्ड में भेड़ पालन को सफलता पूर्वक किया जा रहा है वर्तमान समय में विकास खण्ड में 1397 भेड़े पाली जा रही है। निर्धन व्यक्ति की " कामधेनै " कहलाने वाला पशु बकरी, पर्याप्त संख्या में पाली जा रही है वर्तमान समय में

विकास खण्ड में कुल बकरा व बकरियों की संख्या 10,000 है । जो जनपद में पाली जाने वाली कुल बकरा व बकरियों की संख्या का 4.5 % है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड में कुल 56 घोड़े व टट्टू , 780 सुअर तथा 76 अन्य पशु है। इस प्रकार विकास खण्ड में कुल पशुओं की संख्या 44978 है जो कि जनपद के कुल पशुओं की संख्या का 5.2 % है। पशुपालन के अतिरिक्त विकास खण्ड में कुक्कट पालन भी किया जा रहा है जिनकी कुल संख्या 1780 है। जबकि मत्स्य पालन अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सकता है यद्यपि मत्स्य पालन हेतु विकास खण्ड में पर्याप्त सम्भावनायें विद्यमान है ।

भारतीय कृषि की कल्पना बिना पशुओं के नहीं की जा सकती किन्तु वास्तव में इन पशुओं की गुणात्मक स्थिति अच्छी नही कही जा सकती । इसका मुख्य कारण इनके रखरखाव की खराब स्थिति का होना यदि पशुपालन को एक उद्योग की भाँति विकसित करना है तो निश्चित रूप से इनके खानपान, स्वास्थ्य व नसल सुधार पर ध्यान देना होगा । स्वतंत्रता के पश्चात् इस ओर शासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया गया है किन्तु भारतीय अर्थ व्यवस्था आज भी पशुओं की दशा का सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। पशुओं के स्वास्थ्य के सन्दर्भ में विकासखण्ड में वर्ष 1987-88 में 2 पशु चिकित्सालय 7 पशुधन विकास केन्द्र, 98 पिगरी यूनिट, 95 पोल्ट्री फार्म यूनिट कार्यरत है। विकास खण्ड में पशु प्रजनन फार्म, भेड़ विकास केन्द्र एवं सुअर विकास केन्द्रो का अभाव है।

ग्रामीणांचलों में निर्धन कृषको को महाजनों व साहूकारों के चंगुल से छुडाने के लिए सरकार द्वारा सहकारी संस्थओं की स्थापना की गई । विकास खण्ड में 10 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां संचालित है जिनमें वर्ष 1987-88 में सदस्यता 16615 थी इन समितियों की अंश पूँजी रूपया 1230.00 तथा कार्यशील पूँजी रूपया 166.00 थी। इन समितियों के माध्यम से कृषको को अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों के रूप में वर्ष 1987-88 में रूपया 2650.00 वितरित किया गया।

कृषको की सुविधा हेतु इन कृषि ऋण सहकारी समितियों के अतिरिक्त 24 प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां । क्रय विक्रय सहकारी समिति, 10 साधन सहकारी समितियां संचालित है। कृषि उपज का कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त हो इस उद्देश्य से विकास खण्ड में । कृषि मण्डी स्थापित है। कृषि वित्त की समस्या को सहकारी बैंको ने हल करने में काफी मदद की है । विकास खण्ड में । सहकारी बैंक व । भूमि विकास बैंक कार्यरत है। विकास खण्ड में इन सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त 28 सस्ते गल्ले की दुकाने अल्प बचत व ऋण वितरण हेतु 4 स्टेट बैंक, 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक भी कार्यरत है। ग्राम की समस्यायें ग्राम स्तर पर निपटाने व ग्राम वासियों को सस्ता न्याय दिलाने की उद्देश्य से विकास खण्ड में 13 पंचायत घर भी स्थापित है। विकास खण्ड के सभी 87 ग्राम सभाओं में आई. आर. डी. पी. योजना लागू है। सबसे उत्तम प्रगति ग्राम सभा गौस गंज की है जहाँ पर 158 लाभार्थी वर्ष 1988-89 में लाभान्वित हुए ।

उद्योग शून्य इस विकास खण्ड में 3 कारखाने । वृहत । कार्यरत है, जिसमें औसत दैनिक श्रमिकां एवं कर्मचारियों की संख्या 351 थी ।

शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से विकास खण्ड में 71 जूनियर बेसिक स्कूल, 13 सीनियर बेसिक स्कूल, । जिनमें 3 बालिकाओं के स्कूल है । 7 माध्यमिक विद्यालय, तथा उच्च शिक्षा हेतु एक महाविद्यालय स्थापित है।

स्वस्थ नागरिक किसी देश की सबसे बड़ी पूँजी होती है। स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से विचार करने पर विकासखण्ड में 2 चिकित्सालय एवं औषधालय 4 आयुर्वैदिक चिकित्सालय एवं औषधालय , । यूनानी औषधालय एवं चिकित्सालय । होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय, 15 परिवार कल्याण एवं मातृशिशु कल्याण उपकेन्द्र संचालित है।

विद्युत व्यवस्था की दृष्टि से विचार करने पर विकास खण्ड में कुल 55 ग्रामों को विद्युत सुविधा प्राप्त है। जिसमें से 36 हरिजन बस्तियां है। इस प्रकार कुल आबाद ग्रामों के 51.9 % ग्राम विद्युतीकरण है।

परिवहन सुविधा की दृष्टि से विकास खण्ड में कुल पक्की सड़को की लम्बाई47 कि.मी. है। जिसमें से 43 कि.मी. लम्बी सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है। यात्रियों की सुविधा हेतु 8 बस स्टेशन स्थापित है। विकास खण्ड में मध्य रेलवे की भी सुविधा प्राप्त है जिसमें 2 रेलवे स्टेशन भी स्थापित है।

संचार एवं डाक व्यवस्था हेतु विकास खण्ड में ।। डाकघर, । तारघर, तथा 20 टेलीफोन केन्द्र स्थापित है। आम नागरिक की सुरक्षा हेतु 3 पुलिस स्टेशन व । पुलिस चौकी स्थापित है। प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु विकास खण्ड में 4 बाजार/ हाट लगते है वर्ष 1986-87 में विकास खण्ड में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 418 किलोग्राम था ।

अध्याय - चार   विकास खण्ड में कृषि का स्वरूप

ग्रामीण वातावरण से प्रभावित होकर उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए चेस्टर बोल्स ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि " विकास कार्यों के अर्थ शास्त्री तथा विशेषज्ञ कीचड़ से छोटे-छोटे गांवों और कस्बों की हालत की बहुधा उपेक्षा कर देते है, किन्तु वास्तव में उन्हीं से अगले वर्षों में एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के आर्थिक एवं राजनैतिक इतिहास के स्वरूप का निर्धारण होगा ।" प्राचीन काल से ही कृषि मानव की एक मौलिक क्रिया रही है भारतीय तथा हिब्रू दोनो ही समाजों में अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कृषि को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध कहावत है कि " जो खेती करता है, उसके पास रोटियों का भण्डार होता है । " प्राचीन समाज में कृषि कार्य लोगों के जीवन एवं राज्य का आधार माना जाता था । भारतीय समाज में भी कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था । भूमि और कृषि प्राचीन आर्य संस्कृति के आधार स्तम्भ थे। कृषि का महत्व समझकर ही प्राचीन भारत में और आज भी पृथ्वी को माता के पवित्र नाम से सम्बोधित किया जाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तू तथा जीनोफन आदि सभी कृषि को विशेष महत्व देते थे । और वे कृषि को समाज के सुख एवं समृद्धि का प्रतीक मानते थे । वर्तमान भारत में भी कृषि का महत्व कम नही हुआ है। आज भी अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की बहुसंख्य जनसंख्या लगभग   प्रतिशत कृषि पर ही निर्भर है। एक ओर भारतीय कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यदि राष्ट्रीय आय में कृषी के योगदान पर विचार किया जाये तो इस दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का विशेष योगदान है, जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-

तालिका संख्या- ग्यारह

विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान

क्रमांक	देश	राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान
1.	भारत	44 %
2.	अमेरिका	4 %
3.	आस्ट्रेलिया	13 %
4.	कनाडा	7 %
5.	इगलैण्ड	4 %

यदि विकास खण्ड में कृषि के स्वरूप पर विचार किया जाये तो विकास खण्ड के कुल क्षेत्रफल 35722 हेक्टेअर में से 27870 हेक्टेअर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तथा 33663 हेक्टेअर सकल बोया गया क्षेत्रफल है जो कि कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 78 % व 94 % है। इसी प्रकार यदि जनपद के शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर विचार किया जाये तो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 70 % भू क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार जनपद की तुलना में 8 % अधिक भूक्षेत्र शुद्ध बोया गया

यदि विकास खण्ड में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता पर विचार किया जाये तो ज्ञात होता है कि जनपद के 3 विकास खण्डो - सन्दलपुर, घाटमपुर, एवं पतारा के अतिरिक्त अन्य सभी विकास खण्डो की तुलना में विकास खण्ड अमरौधा में एक ओर जहां का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है वहीं दूसरी ओर जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता कम है अर्थात् जनपद के अन्य विकास खण्डों की तुलना में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल व कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में विकास खण्ड अमरौधा की विपरीत स्थिति देखने को मिलती है, जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है :-

तालिका संख्या- बारह

जनपद के विकास खण्डो में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता । प्रतिशत में ।

क्रमांक	विकास खण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षे.फ. में से शुद्ध बोया गया क्षे.फ. । प्रतिशत में ।	विकास खण्ड की जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता । प्रतिशत में ।
1.	राजपुर	74 %	94 %
2.	मलासा	77 %	84 %
3.	अकबरपुर	70 %	88 %
4.	मैथा	61 %	90 %
5.	सरवनखेड़ा	70 %	86 %
6.	डेरापुर	75 %	84 %
7.	रसूलाबाद	60 %	88 %
8.	झींझक	71 %	88 %

क्रमांक	विकास खण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षे.फ. में से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल । प्रतिशत में ।	विकास खण्ड की जन-संख्या की कृषि पर निर्भरता ।प्रतिशत में ।
9.	बिल्हौर	62 %	85 %
10.	चौबेपुर	62 %	80 %
11.	ककवन	54 %	91 %
12.	शिवराजपुर	55 %	90 %
13.	अमरौधा	78 %	81 %
14.	सन्दलपुर	80 %	89 %
15.	घाटमपुर	82 %	86 %
16.	पतारा	81 %	82 %
17.	भीतरगांव	78 %	81 %

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अन्य विकास खण्डों की तुलना में विकास खण्ड अमरौधा की कृषि पर जनाभार कम है। विकास खण्ड अकबरपुर में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 70 % भूक्षेत्र कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है जबकि कृषि पर निर्भरता 88 % विकास खण्ड मैथा में 61 % भू क्षेत्र कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है जबकि कृषि पर निर्भरता 90 % है। इस तुलना में विकास खण्ड अमरौधा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 78 % है, जबकि कृषि पर निर्भरता 81 % है।

यदि विकास खण्ड के कृषि उत्पादन पर विचार किया जाये तो वर्ष 1987-88 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 418 किलो ग्राम था जो कि अनेक विकासखण्डों

की तुलना में काफी कम है। विकास खण्ड अमरौधा की अपेक्षा कम भू क्षेत्र कृषि कार्य में प्रयुक्त होने के बावजूद विकास खण्ड रसूलाबाद प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 436 किलोग्राम विकास खण्ड ककवन में 440 किलोग्राम विकास खण्ड मैथा में 442 किलोग्राम तथा विकास खण्ड सखनखेड़ा में 453 किलोग्राम था ।

कृषि उत्पादन के मूल्यों पर यदि विचार किया जाये तो विकासखण्ड अमरौधा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है वर्ष 1987-88 में प्रति हेक्टेअर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादन का मूल्य प्रचलित भावों पर रूपया 5180.00 था, जो अन्य विकास खण्डो की तुलना में काफी कम था जैसे विकास खण्ड रसूलाबाद में रूपया 5802.00 विकास खण्ड ककवन में रूपया 5578.00, विकास खण्ड मैथा में रूपया 5725.00 और विकास खण्ड सरवन खेड़ा में रूपया 5596.00 था ।

यदि विकास खण्ड के सकल बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल की दृष्टि से विचार किया जाये तो वर्ष 1984-85 में 120.1 % तथा वर्ष 1985-86 में 120.7 % था जो वर्ष 1986-87 में घटकर 119.5 % रह गया । इस प्रकार वर्ष 1984-85 व वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 1986-87 में क्रमशः 0.6 % एवं 1.2 % कम रहा है । यदि खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल का सकल बोये गये क्षेत्रफल की दृष्टि से विचार किया जाये तो विकास खण्ड में वर्ष 1986-87 में 91.8 % था जो वर्ष 1984-85 व वर्ष 1985-86 की तुलना में क्रमशः 5.3 व 2 % अधिक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सकल बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही वही दूसरी ओर खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल का सकल बोये गये क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

विकास खण्ड में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 27870 हेक्टेअर है जिसमें से 5429 हेक्टेअर भू क्षेत्र एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है। जो कि शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 19.4 % है। तथा जनपद में एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्रफल का 4.3 % है । यदि विकास खण्ड अमरौधा में एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्रफल की तुलना अन्य विकास खण्डो से कि जाये तो अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा विकास खण्ड अमरौधा में यह क्षेत्रफल कम है। जैसा कि निम्नांकित तालिका से प्रदर्शित होता है ।

तालिका संख्या- तेरह

जनपद के विभिन्न विकासखण्डो में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल । हजार - हेक्टेअर में । एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल । हजार हेक्टेअर में । तथा एक से अधि बार बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत ।

क्रमांक	विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हजार हेक्टेअर में	एक से अधिक बार बोगया गया क्षे० फ. ह. है. में	एक से अधिक बार बोये गये क्षे०फ० का शुद्ध बोये गये क्षे० से प्रतिशत
1.	अमरौधा	27.9	5.4	19.5
2.	घाटमपुर	42.2	6.9	16.3
3.	पतारा	20.9	8.0	38.5
4.	भीतरगांव	25.7	6.9	26.7
5.	राजपुर	24.0	7.2	30.1
6.	मलासा	23.4	7.8	33.5
7.	अकबरपुर	19.8	8.6	43.5
8.	मैथा	22.0	8.7	39.5
9.	सखनखेड़ा	20.0	11.2	56.1
10.	डेरापुर	18.0	4.9	62.8
11.	रसूलाबाद	20.8	6.6	32.0
12.	झींझंक	17.0	5.9	35.0
13.	सन्दलपुर	17.0	5.0	29.3
14.	बिल्हौर	17.4	9.8	56.3
15.	ककवन	17.3	8.8	50.6
16.	चौबेपुर	12.6	5.9	47.1
17.	शिवराजपुर	12.9	8.0	61.4
	योग जनपद	358.9	125.6	35.1

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड अमरौधा में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल विकास खण्ड घाटमपुर के अतिरिक्त अन्य सभी विकास खण्डो की तुलना में काफी कम है।

फसल उत्पादन की दृष्टि से यदि विकास खण्ड की स्थिति पर विचार किया जाये तो विकास खण्ड में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलें की जाती है, कुल बोये गये सकल क्षेत्रफल 33663 हेक्टेअर में से 19242 हेक्टेअर क्षेत्र में रबी फसल 14240 हेक्टेअर में खरीफ फसल तथा 180 हेक्टेअर में जायद फसल की जाती है। सकल क्षेत्रफल में से 1 हेक्टेअर भू क्षेत्र में गन्ना के लिए तैयार भूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कुल सकल बोये गये क्षेत्रफल में से 57.2 % भू क्षेत्र का रबी फसल हेतु 42.3 % खरीफ फसल हेतु, 0.53 % जायद फसल हेतु तथा .002 % गन्ना के लिए तैयार भूमि के लिए उपयोग किया जाता है। अतः कुल सकल बोये गये भूक्षेत्र से सर्वाधिक भूक्षेत्र रबी फसल हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जो जनपद के रबी फसल हेतु प्रयुक्त भू क्षेत्र का 6.96 % है। निम्नांकित तालिका से विकास खण्ड में मुख्य फसलों के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले भू क्षेत्रों को स्पष्ट करती है।

तालिका संख्या - चौदह

विकास खण्ड में विभिन्न फसल उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला क्षेत्रफल

क्रमांक	फसल	क्षेत्रफल हेक्टेअर में
ए.	धान्य फसलें	
1.	धान	2193
2.	गेहूँ	6734
3.	जौ	1686
4.	ज्वार	2930
5.	बाजरा	3219
6.	मक्का	217
7.	अन्य	19
	कुल योग -	13440
बी.	दलहनी फसलें	
1.	उर्द	1653
2.	मूँग	8
3.	मसूर	173
4.	चना	8094
5.	मटर	1420
6.	अरहर	2090
	कुल योग	13440

तालिका संख्या- चौदह

विकास खण्ड में विभिन्न फसल उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला क्षेत्रफल

क्रमांक	फसल	क्षेत्रफल हेक्टेअर में
सी.	तिलहन फसलें	
1.	सरसों	1646
2.	अलसी	10
3.	तिल	82
4.	रेण्डी	01
5.	मूँगफली	28
	कुल योग	1767
डी.	अन्य फसलें	
1.	गन्ना	606
2.	आलू	49
3.	कपास	27
4.	सनई	48
5.	सोयाबीन	04
	कुल योग	734

भारत में उपलब्ध सिंचाई के साधनों अर्थात प्राकृतिक साधनों की विशालता के संदर्भ में सर के0 स्ट्रेची ने विचार व्यक्त किया कि " भारत के सिंचाई सिंचाई के साधनों से विशाल साधन अन्य किसी देश में देश में नहीं है ।" विपुल सिंचाई के साधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है जैसे पूरे वर्ष बहने वाली नदियां आदि के होते हुए भी भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल अन्य देशों की तुलना में अत्यन्त निराशा-जनक है जैसा कि आई0 आई0 ए0 एफ0 एल0 1950 की रिपोर्ट से स्पष्ट है - " भारत में कुल भूमि के 19 % भू क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, जबकि जापान में 55 %, पाकिस्तान में 48 %, चीन में 46 %, इण्डोनेशिया में 30 % तथा मलाया में 30 % भू क्षेत्र मेंसिंचाई की जाती है। " वर्तमान समय में भारत में कुल कृषि क्षेत्र के केवल 35 % भू क्षेत्र में सिंचाई की जाती है । जिसमें विभिन्न प्रदेशों में होने वाली सिंचाई में भारी भिन्नता है। जैसे पंजाब में कुल कृषि भूमि का 75% भू क्षेत्र सिंचित है उत्तर प्रदेश में 52 % जबकि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में मात्र 12 % भू क्षेत्र सिंचित है। अतः एक ओर भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का अत्यल्प होना तो दूसरी ओर इसमें भारी असमानता का पाया जाना । ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि के विकास की कल्पना निरर्थक होगी । इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी के शब्द व्यक्त करना समाचीन होगा, उन्हीं के शब्दो में - " सभी गांवो में सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने से अधिक आवश्यक कोई अन्य काम नही हो सकता, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर कृषि की प्रगति निर्भर करती है।

राष्ट्र पिता के उपरोक्त उद्गार दृष्टिगत रखते हुए यदि ग्रामीण अर्थ - व्यवस्था प्रधान विकास खण्ड अमरोधा की सिंचाई सुविधा पर विचार करें तो विकास खण्ड में कुल कृषि क्षेत्र में से 11079 हेक्टेअर भूक्षेत्र सकल सिंचित तथा 9363

हेक्टेअर भू क्षेत्र सिंचित है। इस प्रकार विकास खण्ड में सकल बोये गये क्षेत्रफल में से 32.9 % सकल सिंचित भू क्षेत्र तथा 27.9 % शुद्ध सिंचित भू क्षेत्र है, जो राष्ट्र के सकल सिंचित क्षेत्रफल की तुलना में 2.10 % तथा प्रदेश के सकल सिंचित क्षेत्रफल की तुलना में 19.1 % कम है। विभिन्न विकास खण्डों में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत इस प्रकार है :-

विभिन्न विकास खण्डो में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत तथा सकल सिंचित क्षे. का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत

तालिका संख्या- पन्द्रह

क्रमांक	विकासखण्ड	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत	सकल सिंचित क्षेत्रफल का का शुद्ध बोये गये सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	अमरौधा	33.7 %	117.9
2.	पतारा	54.2 %	138.9
3.	भीतरगांव	51.4 %	136.2
4.	राजपुर	41.9 %	114.7
5.	मलासा	47.7 %	126.1
6.	अकबरपुर	60.4 %	136.4
7.	मैथा	67.2 %	129.5
8.	सरवनखेड़ा	70.9 %	141.8
9.	डेरापुर	47.2 %	124.5
10.	घाटमपुर	24.2	126.6
11.	रसूलाबाद	68.6 %	128.0
12.	झींझक	62.2 %	120.3
13.	सन्दलपुर	46.8 %	119.1
14.	बिल्हौर	70.0 %	119.6
15.	चौबेपुर	63.7 %	130.9
16.	ककवन	66.4 %	134.0
17.	शिवराजपुर	81.4 %	143.9

विकास खण्ड अमरौधा के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 33.7 % में 72.7 % राजकीय नहरों द्वारा तथा 23.2 % नलकूपों द्वारा सिचिंत है।

विकास खण्ड में मुख्य रूप से सिचाई नहरों, राजकीय व निजी नलकूपों द्वारा की जाती है । इन साधनों के अतिरिक्त पक्के कुँए, रहट व निजी पम्पसैटो का भी प्रयोग होता है। विकास खण्ड में राजकीय नहरों की कुल लम्बाई 99 कि. मी. है। विकास खण्ड में 350 नलकूपों है जिनमें 57 राजकीय व 292 निजी नलकूप है। राजकीय नलकूपों की विकास खण्ड में अत्याधिक कमी है। यदि निजी नलकूपों द्वारा सिचाई न की जाये तो राजकीय नलकूपों द्वारा सिचिंत क्षेत्र दशमलव में प्राप्त होगा । इसी प्रकार सिचाई के निजी साधनों में विकास खण्ड में पम्पिंग सेटो का भी योगदान नहीं है। विकास खण्ड में कुल पम्पिंग सेट 1026 है। जिनमें से 464 भू स्तरीय तथा 562 बोरिंग पर लगें है। सिंचित क्षेत्र में पक्के कुँओं व रहट का योगदान कोई महत्वपूर्ण नही है, क्योंकि विकास खण्ड में इनकी संख्या बहुत कम है, कुल 5 कुँए व 2 रहट है।

भारतीय कृषि के पिछड़े पन का एक मुख्य कारण यह भी है कि यहां कि कृषि उपविभाजन व उपखण्डन की शिकार है विकास खण्ड भी इस समस्या से अछुता नहीं है । विकास खण्ड में । हेक्टेअर से कम क्षेत्रफल के खेतो की संख्या लगभग 14330 है, जिनका कुल क्षेत्रफल इनकी संख्याओं के बराबर भी नही है , । हेक्टेअर से कम क्षेत्रफल वाले खेतों का कुल क्षेत्रफल लगभग 5109 है। 5 हेक्टेअर से अधिक क्षेत्रफल के खेतों की कुल संख्या मात्र 227 है, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 3570 हेक्टेअर है।

यद्यपि विकासखण्ड की कृषि लकड़ी के हल पर ही आधारित है, किन्तु पिछले कुल वर्षों से परम्परागत कृषि प्रणाली से हटकर कुछ कृषकों ने नवीन कृषि यन्त्रों को भी अपनाना प्रारम्भ किया है। विकासखण्ड में लकड़ी के हलों की कुल संख्या 6304 है, जो जनपद के कुल लकड़ी के हलों की संख्या का 5.5 % है। यदि अन्य विकास खण्डो पर विचार करें तो विकास खण्ड अमरौधा में लकड़ी के हलों का प्रयोग अन्य विकास खण्डों की तुलना में काफी कम है। जैसे विकासखण्ड रसूलाबाद में कुल लकड़ी के हलों की संख्या 8786 , विकास खण्ड सन्दलपुर में 7500, विकासखण्ड झींझक में 9995 , विकासखण्ड घाटमपुर में 9396 है। यदि यदि विकास खण्ड अमरौधा मेंनवीन कृषि यंत्रों के प्रयोग पर विचार करें तो विकासखण्ड में लोहे के हल 2978, उन्नत हैरों व कल्टीवेटर 3871 , उन्नत थ्रेसिंग मशीन 236, उन्नत बुवाई यन्त्र 968, स्प्रेयर 2, तथा ट्रैक्टर 86 है, जो अन्य विकास खण्डो की तुलना में काफी कम है। जैसे विकासखण्ड घाटमपुर में 180 बिल्हौर में 134, ककवन में 148 , शिवराजपुर में 121 तथा सखनखेड़ा में 154 है।

वैज्ञानिक खेती का द्वितीय मुख्य पहलू उर्वरकों का प्रयोग होता है जो एक ओर भूमि की उर्वरता बनाये रखने में सहायक होता है तो दूसरी ओर कृषि उत्पा--दन में वृद्धि करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू ने उर्वरकों व नवीन कृषि यन्त्रों के महत्व के सन्दर्भ में विचार किया था कि " खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाकर देश की पैदावार को चार गुना ज्यादा किया जा सकता है, देश को सुखी और समृद्ध बनाने का यही एक मात्र उपाय है। हमें अच्छी खाद तथा उन्नत यन्त्रों की सहायता से पैदावार बढ़ानी चाहिए ।

विकास खण्ड अमरौधा में वैज्ञानिक कृषि के प्रथम पहलू अर्थात् उन्नत कृषि यन्त्रों के प्रयोग की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है यदि वैज्ञानिक खेती के पहले अर्थात् उर्वरकों के प्रयोग पर विचार करें तो अन्य विकास खण्डो की तुलना में यह काफी कम है। विकास खण्ड में सकल बोये गये क्षेत्रफल में प्रति हेक्टेअर पर 25.7 किलोग्राम उर्वरक का उपभोग किया जाता है जबकि विकास खण्ड रसूलाबाद में 52.8 कि.ग्रा. विकास खण्ड ककवन में 78.4 कि.ग्रा. विकासखण्ड मैथा में 46.7 कि.ग्राम तथा विकासखण्ड सखनखेड़ा में 53.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेअर उर्वरक का उपभोग किया जा रहा है । यदि विकासखण्ड में उपभोग होने वाले कुल उर्वरक पर विचार करेतो यह भी अन्य विकास खण्डो की तुलना में काफी कम है। जैसा कि निम्नांकित तालिका से प्रदर्शित होता है :-

तालिका संख्या - सोलह

कानपुर देहात के विकास खण्डो में कुल उर्वरक उपभोग

क्रमांक	विकास खण्ड	कुल उर्वरक उपभोग मी.टन में	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
1.	अमरौधा	857	857	211	59
2.	मलासा	894	627	213	54
3.	सन्दलपुर	899	656	180	63
4.	शिवराजपुर	1263	622	362	79
5.	राजपुर	1268	902	303	63
6.	मैथा	1432	1056	283	93
7.	रसूलाबाद	1449	966	395	88
8.	झीझक खेड़ा	1673	1319	276	78

तालिका संख्या- सोलह

कानपुर देहात के विकास खण्डों में कुल उर्वरक उपभोग

क्रमांक	विकास खण्ड	कुल उर्वरक उपभोग मी. टन में	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
9.	पतारा	1676	1259	327	90
10.	डेरापुर	1801	1375	345	81
11.	भीतरगांव	1947	1318	520	109
12.	झींझक	2024	1363	541	120
13.	ककवन	2047	1491	433	123
14.	चौबेपुर	2765	2187	450	128
15.	अकबरपुर	2768	2009	616	143
16.	बिल्हौर	2962	2339	472	151
17.	घाटमपुर	3290	2471	695	124

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड अमरौधा में अन्य विकास खण्डो की तुलना में कम उर्वरक उपभोग किया जाता है।

संक्षेप में विकास खण्ड अमरौधा जनपद के अन्य विकास खण्डो की तुलना में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का सर्वाधिक भू क्षेत्र कृषि कार्य हेतु प्रयोग करने वाला विकास खण्ड है, किन्तु अन्य विकास खण्डो की तुलना में कृषि जोत का छोटा होना, सिंचाई के साधन व सिंचित क्षेत्र का कम होना, उर्वरक उपभोग में कमी, उन्नत कृषि यन्त्र व उपकरणों की कमी आदि कारकों से सम्मलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप अन्य विकास खण्डो की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन कम है, इन सभी तत्वों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनपद कानपुर देहात के अन्य विकास खण्डो की तुलना में विकास खण्ड अमरौधा की कृषि अत्याधिक पिछड़ी हुई है। परम्परागत कृषि प्रणाली विकास खण्ड में आज भी विद्यमान है।

में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भोजन में अनाजों और दालों को यहां गौण स्थान प्राप्त है। उपभोग सम्बन्धी आदतों में इस परिवर्तन के कारण यू०एस०ए०, आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड में प्रगतिशील पशुपालन उपक्रमों पर आधारित कृषि का विकास किया जा रहा है।

पशु भारतीय कृषकों के एक महत्वपूर्ण एवं मँहगें साधन है। ग्रामवासियों की समृद्धि अन्य चीजों के अतिरिक्त सम्पूर्ण देश के पशुधन के समुचित प्रकार पर भी निर्भर करती है। जिन देशों की कृषि का यन्त्रीकरण हुआ है, वहाँ के किसान खेती सम्बन्धी सभी आवश्यक कार्यों को यन्त्रों द्वारा करते है परन्तु भारत में वे सारे कार्य पशुओं द्वारा ही सम्पन्न किये जाते है।

वर्ष 1956 की पशुगणना के अनुसार भारत में 30.65 करोड़ पशु थे, जिनकी संख्या वर्ष 1976 में बढ़कर 35.47 करोड़ हो गई अर्थात् 20 वर्षों के अन्तराल में पशु संख्या में लगभग 13 % की वृद्धि हुई। कुल पशुओं में गाय, बैल, भैंस की संख्या बहुत अधिक है जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है।

तालिका संख्या- सत्रह

भारत में पशुधन । वर्ष 1976 ।

क्रमांक	पशुधन	संख्या । करोड़ में ।
1.	गाय और बैल	17.88
2.	भैंस और भैंसा	5.79
3.	भेड़े	4.03
4.	बकरियां	6.03
5.	घोड़े और टट्टू	0.09
6.	अन्य खच्चर, ऊँट, गधे व सूअर	0.88
	योग -	35.47

हमारे देश में 100 हेक्टेअर भौगोलिक क्षेत्र में 54 पशु है। पशुओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भारत के कुल पशुओं के 16 % पशु पाये जाते है। जबकि मध्य प्रदेश में 11 % पशु पाये जाते है। तीसरा स्थान राजस्थान का है। जहां 10.5 % पशु पाये जाते है पशुओं का घनत्व सबसे अधिक राजस्थान में है जहां बोई हुई प्रत्येक 100 एकड़ भूमि पर 88 पशु है यदि प्रति वर्ग मील की दृष्टि से घनत्व को देखा जाये तो परिस्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। पश्चिम बंगाल में पशुओं का घनत्व प्रत्येक वर्गमील पर लगभग 288 है जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 288 x 192 है। हमारे देश में पशु संख्या संसार के सब देशों से अधिक है। किन्तु अन्य देशों की तुलना में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर पशु संख्या बहुत कम मात्र 44 है जबकि अन्य देशों में यह संख्या काफी अधिक है जैसे अर्जेन्टाइना में यह 244 और आस्ट्रेलिया में 199 , न्यूजीलैण्ड में 168, कनाडा में 90 और अमेरिका में 58 पशु है । प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर पशु वितरण में देश के विभिन्न प्रदेशों में भारी भिन्नता पाई जाती है जैसे असम में प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे 90 पशु है जबकि केरल में मात्र 100 व्यक्तियों के पीछे 16 पशु है।

पशु संख्या अधिक होने का यह अर्थ कदाई नहीं है कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन भी अधिक होगा या कृषि का स्तर ऊँचा होगा इस सम्बन्ध में शाही कृषि आयोग ने मत व्यक्त किया कि " कुशल पशुओं को पालने की जितनी ही खराब दशा होगी उतनी ही अधिक संख्या में उनको पालना पड़ता है। गाये बहुत कम दूध देती है, और उनके बछड़े छोटे आकार के होते है। इससे किसानों को संतोष

नहीं होता और वे उपयोगी बैलों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पशुओं को पालते है। यह प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई है और भारत में पशुओं की इतनी अधिक संख्या है तथा अनेक क्षेत्रों में उनका आकार इतना छोटा है कि अब इस देश में पशुओं की अवनति को रोकने तथा उनका सुधार करने का कार्य बहुत वृहत है।" वास्तव में हमारे देश में पशुओं की इतनी बड़ी संख्या के पीछे धार्मिक भावना का होना भी है जैसा कि एम0 एल0 डार्लिंन्ग के इस कथन से स्पष्ट है -" हिन्दू लोग गाय तथा बैल की हत्या को घोर पाप मानते है । वे गाय को कसाई को बेचने के स्थान पर या तो गौशाला में भेज देते है या फिर मर जाने के लिए छोड़ देते है।"

यदि पशु संख्या की दृष्टि से विकास खण्ड अमरौधार पर विचार करें तो विकास खण्ड में कुल पशुओं की संख्या 44978 है जो जनपद के कुल पशुओं का लगभग 5.2 % है। विकास खण्ड में विभिन्न पशुओं की स्थिति निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है ।

तालिका संख्या - अठारह

विकास खण्ड अमरोधा में पशुधन

क्रमांक	पशुधन	संख्या
1.	गाय और बैल	17114
2.	भैंसे और भैंसा	15573
3.	भेड़	1379
4.	बकरा व बकरियां	10000
5.	घोड़े व टट्टू	56
6.	सुअर	780
7.	अन्य	76
	योग-	44978

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड के कुल पशुधन में गाय और बैलों की संख्या सबसे अधिक 17114 है जो कि कुल पशुधन का लगभग 38 % है। द्वितीय स्थान पर भैंस व भैंसा है जो कुल पशुओं के लगभग 34 % है विकास खण्ड की कृषि अर्थ व्यवस्था में तृतीय स्थान बकरा व बकरियों का है जो कुल पशुधन को लगभग 22 % है। विकास खण्ड में सबसे कम संख्या घोड़े व टट्टुओं की है जो कुल पशुधन के लगभग 0.15 % है।

यदि जनपद कानपुर देहात के अन्य विकास खण्डो के पशुधन संख्या पर विचार किया जाये तो विकास खण्ड अमरौधा में अन्य विकास खण्डो की तुलना में पशुधन संख्या कम है। विकास खण्ड घाटमपुर में जनपद के कुल पशुधन के लगभग 10 % पशु पाये जाते है विकास खण्ड भीतर गांव में 7.5 % विकास खण्ड राजपुर में 7 % विकास खण्ड मैंथा में 6.8 %, विकास खण्ड अकबरपुर में 6.5 % पशु पाये जाते है।

यदि विकास खण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार पशुधन के घनत्व पर विचार किया जाये तो प्रति 100 हेक्टेअर भौगोलिक क्षेत्रफल में 79 पशु है जो राष्ट्र के भौगोलिक पशुधन घनत्व से 25 पशु अधिक है।

यदि विकासखण्ड के शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में पशुधन के घनत्व पर विचार किया जाये तो विकास खण्ड के शुद्ध बोये गये प्रति 100 हेक्टेअर क्षेत्रफल पर 62 पशु है।

यदि विकास खण्ड के प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे पशु संख्या पर विचार किया जाये तो भौगोलिक धनत्व के अनुरूप ही राष्ट्र की तुलना में विकास खण्ड

विकास खण्ड में प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे 25 पशु अधिक है अर्थात् विकास खण्ड में प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे 69 पशु है।

विकास खण्ड की कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था में पशुधन का विशेष महत्व है। पश्चिमी देशो में गाय और बैल की गणना जानवरों के रूप में होती है किन्तु हमारे यहां इनकी गणना जीवन साथी के रूप में होती है। भारत के राष्ट्रीय जीवन में पशु एक अभिन्न अंग है। एक विद्वान के अनुसार " हमारे लिए गाय एक उपयोगी जानवर ही नही है बल्कि हमारा जीवन साथी है हमारे सामूहिक जीवन की एकता का प्रतीक है जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनो का महत्व पूर्ण स्थान है बैल के बिना हम अपना भोजन नहीं उपजा सकते है और गाय के बिना अपना पौष्टिक भोजन : दूध और मक्खन : नही प्राप्त कर सकते है।

वास्तव में भारतीय पशु कृषकों के लिए जो श्रम करते है वह कृषि अर्थ व्यवस्था को एक उल्लेखनीय योगदानहै । भारतीय कृषकों की जोते अनार्थिक व बिखरी है और उनके आर्थिक साधन बहुत सीमित है। इस लिए यन्त्रों से खेती करना सम्भव नही है। विकास खण्ड में भी छोटी छोटी जोतो की समस्या है। यदि विकास खण्ड की आर्थिक जोतो पर विचार करें तो 0.5 हेक्टेअर से कम आकार के खेतो की संख्या सर्वाधिक अर्थात् कुल आर्थिक जोतो के लगभग 60 /: है ऐसी स्थिति में कृषि का यन्त्रीकरण असम्भव है, इस कारण से विकास खण्ड अमरोधा की कृषि में पशुओं का महत्व अत्याधिक है संक्षेप में यदि यह कहा जाये कि विकास खण्ड के कृषको के लिए पशुधन उनके प्रायः सभी कृषि कार्यों के लिए प्राथमिक साधन है तो अतिशयोक्ति न होगी । जैसा कि कृषि पर शायल कमीशान की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि " इस देश पर गाय तथा उनकी संतान बैल

का जो ऋण है उसे स्वीकार करना आवश्यक है, बैल के बिना खेती सम्भव नहीं है बैल के बिना कृषि उपज को एक जगह से दूसरी जगह नही ले जा सकता है ।"
कृषि प्रधान विकास खण्ड में खेतों को जोतने के लिए, सिंचाई करने के लिए तथा उपज को मण्डियों तक ले जाने के लिए पशुओं का होना आवश्यक है विकास खण्ड की खेती पर जितना व्यय होता है उसका 15-20 प्रतिशत भाग पशुश्रम से प्राप्त होता है ।

दूध या दुग्ध उत्पादन जैसे पौष्टिक भोजन पशुओं द्वारा ही प्राप्त होते है जो कि विकास खण्ड शाकाहारी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है इसके अतिरिक्त ये दुधारू पशु विकास खण्ड के कृषकों की अतिरिक्त आय का भी श्रोत है। परम्परागत कृषि प्रणाली के कारण एक ओर कृषकों की आय का भिन्न होना तो दूसरी ओर अधिकांश समय उनका बेकार रहना । ऐसी स्थिति में दुग्ध व्यवसाय ।

। एक बहुमूल्य सहायक उद्योग है विकास खण्ड में 24 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत है। जिनके माध्यम से लगभग 2700 व्यक्तियों को प्रत्यक्षत रोजगार या अतिरिक्त रोजगार का साधन प्राप्त होता है तथा इससे उन्हें औसतन 2000-3000 रूपया आय प्राप्त होती है। इस तरह अच्छे और अधिक पशुओं से विकास खण्ड के किसानों का सामाजिक स्तर ही नही ऊँचा उठता है बल्कि उनका आर्थिक स्तर भी बहुत कुछ मजबूत होता है। वैसे उत्पादकता की दृष्टि से विकासखण्ड के पशुओं का मूल्य बहुत कम है फिर भी दुग्ध तथा दुग्ध से बने पदार्थ अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते है।

विकास खण्ड की अर्थ व्यवस्था में पशुओं एक मुख्य देन गोबर है जिसके द्वारा ईंधन व खाद की उपयोग में लाते है । इस खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा

शक्ति में वृद्धि होती है और इस प्रकार पशुओं से कृषक को अप्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। पशुओं के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में जो वृद्धि होती है जिससे व्यापारिक एवं खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ता है उसके सम्भावित मूल्य का हिसाब लगाना कठिन है। इस संदर्भ में डा० राइट के विचार उल्लेखनीय है -" वैसे ऐसा अनुमान है कि गोबर बहुत अधिक मात्रा में ईंधन के काम आता है। पर इसके सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नही है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा भूमि है, और यहाँ गोबर की खाद के मूल्यांकन के लिए नियन्त्रित प्रयोग नही किये गये है।"

एक अनुमान के अनुसार विकास खण्ड में कुल उत्पादित गोबर का 40 % खाद के रूप में, 40 % उपले बनाकर ईंधन के रूप में तथा 20 % अन्य प्रयोजन में या बेकार चला जाता है अन्य प्रयोजनों से आशय गोबर गैस संयन्त्र में प्रयोग से भी है, क्योकि विधुतविहीन ग्रामों में विधुत के वैकल्पित साधन के रूप में 26 गोबर गैस सयन्त्र भी स्थापित है। जो जनपद के सयन्त्रों का 6.5 % है। यदि अन्य विकास खण्डो पर विचार करें तो पता चलता है कि जनपद के विकास खण्ड घाटमपुर व झींझक के अतिरिक्त अन्य सभी विकास खण्डो की अपेक्षाकृत विकास खण्ड अमरौधा में गोबर गैस सयन्त्रों की संख्या अधिक है।

खाद्यान्न का वैकल्पित साधन माँस पशुओं द्वारा ही प्राप्त होता है। यद्दपि विकास खण्ड में शाकाहारी लोगों की बहुतायत है किन्तु अन्य शहरों में माँस भेजकर जहाँ एक ओर देश की खाद्यान्न समस्या को हल करने में मदद मिलती है वही दूसरी ओर इस व्यवसाय से जुड़े विकास खण्ड के अनेक व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होता है। माँस विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक अच्छा साधन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पशु जीवन पर्यन्त दूध, घी, मक्खन, माँस, शक्ति, गोबर इत्यादि मानव जीवन हेतु उपयोगी अनेकानेक वस्तुए प्रदान करके पग-पग पर सहयोग प्रदान करते है। मृत्यु के पश्चात् भी खाल, चमड़ा, खुर, सींग, दांत, हड्डी आदि पशुओं द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुए मानव जीवन हेतु कम उपयोगी नहीं है। इस प्रकार पशुओं कृषि एवं मानव जीवन हेतु अनेकानेक आवश्यकतायें पूरी होती है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा विदेशी मुद्राअर्जित करने में मदद मिलती है पहले भारत कच्चे चमड़े का एक मात्र निर्यातक देश था किन्तु विभाजन के बाद स्थिति में परिवर्तन हो गया। भारत द्वारा चमडा व खाल के वार्षिक निर्यात का मूल्यांकन मोटे तौर पर डा० राइट ने लगभग 43 करोड़ रूपया आंका, किन्तु वर्ष 1981-82 में भारत ने 415 करोड़ रूपये का चमड़ा, खाले, जूते व चमड़े की अन्य वस्तुए विदेशों को निर्यात की गई थी। इसी प्रकार मरने वाले पशुओं से लगभग 6 लाख टन हड्डियां प्राप्त होती है जो खाद बनाने के काम आती है। हड्डियों से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रूपये की आय प्राप्त होती है। विकास खण्ड में भेड़ पालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है जिसके द्वारा ऊन व बालों की प्राप्ति होती है। 8.5 करोड़ रूपये के ऊन व बालों को निर्यात प्रतिवर्ष विदेशों को किया जाता है।

पशुओं द्वारा उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त विकास खण्ड के निवासियों के परस्पर सम्बन्ध बनाये रखने कृषि उपज को ढोने आदि के लिए ग्रामीण यातायात के मुख्य साधन बैल, भैसा, घोड़े, खच्चर, गधे, व ऊँट आदि पशु काम में लाये जाते है। ग्रामीणांचलों में कुल ढोये जाने वाले सामान का 2/3 भाग पशुओं द्वारा विशेषतः बैलगाड़ियों तथा भैसा गाड़ियों द्वारा ढोया जाता है।

संक्षेप में पशु धन विकास खण्ड की ग्रामीण जनता के अभिन्न मित्र तथा साथी है, और विकास खण्ड की अनमोल निधि है।

अध्याय - छः दुग्ध उद्योग

कानपुर देहात के प्रायः सभी विकास खण्डो की तरह अमरौधा विकास खण्ड की अर्थ व्यवस्था भी कृषि प्रधान है, और कृषि का कार्य पशुओं की सहायता से किया जाता है। पशुधन कृषकों की न केवल एक कृषि के लिए आवश्यक पूँजी ही है, बल्कि पशुओं द्वारा उसके आर्थिक व सामाजिक जैसे अनेक कार्य सम्पन्न किये जाते है। कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा वर्ग है जो पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादनों द्वारा अपनी जीवकोपार्जन करता है। और पशुओं से प्राप्त उत्पादन ही उसका मुख्य उद्यम है। पशुओं से प्राप्त होने वाले दुग्ध पदार्थ मुख्य रूप से है। दुग्ध पदार्थ के उत्पादन के पश्चात् उनके विक्रय की समस्या अन्य कृषि वस्तुओं की भाँति बनी हुई है। अन्तर केवल इतना है कि दुग्ध उत्पाद एक अल्पकालीन उत्पाद है जिसकी तत्कालीन बिक्री आवश्यक हो जाती है जिस प्रकार कृषि के सम्बन्ध में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये जा रहे है, जिससे कृषको को कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकें। इनमें से एक उपाय सहकारी विपणन भी है। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी सहकारी संगठनों द्वारा कृषको को उनके दुग्ध के विक्रय के म सम्बन्ध में एक उपयुक्त स्थान एवं बाजार प्रदान करने की दिशा में प्रयास किया है। सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा कृषको के दुग्ध उचित मूल्य पर क्रय कर लिये जाते है। इस प्रकार कृषको का दुग्ध उत्पाद एक ही स्थान पर बिक जाता है उसे दर- दर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। दुग्ध समितियों के माध्यम से अपनी उत्पादन की मात्रा के अनुसार उचित कीमत पर पूरा मूल्य प्राप्त हो जाता है। अतः उसे अपना

दुग्ध उत्पादन विक्रय की कोई चिन्ता नहीं होती है।

वर्तमान अध्ययन के अन्तर्गत अमरौधा विकास खण्ड में कार्य कर रही दुग्ध सहकारी संगठनों का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया गया है। दुग्ध का उत्पादन कृषि उत्पादन का एक अंग माना जाता है। यद्दपि देश के सहकारी आन्दोलन में सहकारी साख मितियों की बहुलता है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि व गैर कृषि दोनो क्षेत्रों में गैर सहकारी साख समितियों को विकास हुआ है। इनमें से विपणन, सहकारी कृषि दुग्ध औद्योगिक सहकारी समितियाँ व गन्ना की सहकारी समितियां है। इन समितियों को पहले क्रय विक्रय उत्पादन सामाजिक सेवायें तथा गृह निर्माण समितियों के अन्तर्गत विभाजित किया जाता है। किन्तु अब इन्हें इनके कार्य के अनुसार देहात में विभिजित किया जाता है। इस दृष्टि से कानपुर देहात में विभिन्न सहकारी समितियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

तालिका संख्या - उन्नीस

जनपद - कानपुर देहात में संचालित विभिन्न सहकारी समितियाँ

क्रमांक	समितियाँ	संख्या	सदस्यता	कार्यशील पूँजी हजार रु. में।	वर्ष में वितरित किये गये उत्पाद का मूल्य हजार रुपया में
1.	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ	158	257000	68574	61387 वितरित ऋण
2.	क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ	6	25821	-	5703 लेनदेन की गई वस्तुओं का मूल्य
3.	संयुक्त कृषि सहकारी समितियाँ	25	490	-	-
4.	सदस्य सहकारी समितियाँ	20	334	5960	-
5.	औद्योगिक सहकारी समितियाँ	23	700	1239	5960
6.	प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ	26	402	87	102
7.	प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ	231	11540	6890	79959

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में कुल 7 प्रकार की सहकारी समितियां संचालित है, जो कृषि वित्त की व्यवस्था , बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं आदि की आपूर्ति ग्रामीणांचल में आवश्यक वस्तुओं के वितरण, दुग्ध व्यवसाय को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, जिससे कि कृषकों, कृषक मजदूरों एवं कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकें, स्थापित की गई है यदि जनपद में संचालित विभिन्न सहकारी समितियों की संख्याओं पर विचार करें तो पता चलता है कि प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की संख्या सर्वाधिक 231 है। जबकि सबसे कम संख्या क्रय विक्रय सहकारी समितियों की मात्र 6 है। सदस्यता की दृष्टि से यदि विचार किया जाये तो प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की सदस्यता सर्वाधिक 257000 है । जबकि सबसे कम सदस्य सहकारी समितियों की सदस्यता मात्र 334 है। यदि जनपद में कार्यरत विभिन्न सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी पर दृष्टिपात करें तो सबसे अधिक कार्यशील पूंजी प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की रूपया 68574.00 है। जबकि सबसे कम प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियों की रूपया 87000.00 है।

किसी भी समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना होता है किन्तु यह तभी सम्भव होता है जबकि उसके द्वारा अधिकतम उत्पादन करके उसे लाभकारी मूल्य पर विपणित किया जाये । यदि जनपद में कार्यरत विभिन्न सहकारी संस्थाओं का इस दृष्टि से मूल्यांकन करें तो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन का विपणन सर्वाधिक रूपया 79959.00 है तथा इसी दृष्टि से सबसे कम विपणन प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियों के लगभग रूपया

रुपया । हजार में । 102.00 का किया ।

प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां

ए. स्थापना उद्देश्य :-

भारतीय योजना का प्रमुख ध्येय सामाजिक न्याय के साथ- 2 आर्थिक विकास करना है। भारत एक कृषी प्रधान देश है। देश की लगभग 70 % जनसंख्या गांवो में निवास करता है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है । हमारे संविधान में जिन्हें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों कहा गया है न केवल वही आर्थिक रूप से कमजोर है बल्कि बुनकर बढ़ई और बंजारों जैसे परम्परागत कारीगर भूमिहीन खेतिहर मजदूर और बहुत से छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते है।

ध्यान रखने की बात यह है कि विकास कार्यक्रमों का फैलाव इतना अधिक न हो जाये कि इतने अधिक लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार न हो सकें । यद्दपि समाज के कमजोर वर्गों के विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है किन्तु वास्तविकता तो यह है कि इन कमजोर वर्गों के हित कोशेष समाज के हित से पृथक नही रखा जा सकता । क्योंकि उनकी उन्नति ग्रामीण क्षेत्रों की सामान्य उन्नति के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया गया है --" मूल उद्देश्य कृषि अर्थ व्यवस्था को अधिकतर उत्पादन शील बनाना तथा गांवों में ऐसे धन्धो को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है जिनका कृषि से संबध नही , जिससे कृषि उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो इसके साथ ही कम सुविधा वाले वर्गों की हालत सुधारने का भी इन सब प्रवृत्तियों में अधिक ध्यान रखना चाहिए ।"

सरकार द्वारा जो विशेष योजनायें चलाई जा रही है वे मात्र क्षेत्र के सामान्य कार्यक्रम का परिशिष्ट ही हो सकती है। अतः पिछड़े वर्गों की भलाई के कार्यक्रमों को ऐसी विकास योजनाओं के साथ पूरी तरह सम्बद्ध करना चाहिए, जिनमें स्थानीय दशाओं, भौतिक स्थिति, साधनों और संस्थागत संरचना का पूरी तरह ध्यान रखा गया हो ।

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की समस्यायें भिन्न-2 क्षेत्रों में भिन्न-2 होती है जैसे पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यकता इस बात की है कि सुनियोजित कार्यक्रम और इसी तरह भूमिहीन मजदूरों के लिए त्वरित आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार के साधन बढ़ाये जाये। अनुपूरक ग्रामीण काम धन्धों का कार्यक्रम उनके लिए बड़ा महत्व रखता है। सीमान्त और सह सीमान्त किसानों अथवा ऐसे लोगों के लिए जो कही भी कारीगरी के या खेती किसानी के कार्य करते है। यह आवश्यक है कि भूमि उपकरण साधन और कुशलता की दृष्टि से बुनियादी परिवर्तन करके उनके पुनर्वास का उपाय किया जाये। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है जिससे वे नवीन या उन्नतक तकनीक नही अपना सकते । अतः समस्या यह है कि उनके साधनों व ज्ञान में वृद्धि कैसे की जायें ।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तक यह सुविधायें सहकारी प्रयत्न द्वारा ही पहुँचाई जा सकती है। सहकारी समितियां कमजोर वर्गों को मध्यस्थों के शोषण से बचाने का प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। सहकारी संगठन से व्यक्तियों को बडे पैमाने पर कार्यकलाप एवं प्रबन्ध का उत्तम अवसर मिलता है । अतः समाज के कमजोर वर्गों के लाभ की दृष्टि से सहकारी समितियों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से वर्तमान समय में दोहरी कार्य पद्धति अपनाई गई है।

प्रथम तो यह है कि सहकारी समितियों की नीतियों और कार्य विधि को ऐसा मोड़ दिया जा रहा है कि जिससे कमजोर वर्गों को अपने आर्थिक कार्यक्रमों के लिए सहकारी समितियों से क्रमशः अधिक ऋण मिल सकें। ऋण देने की नई नीति का मूल आधार यह है कि किसी व्यक्ति को ऋण देते समय उसकी सम्पत्ति के बजाय यह देखना चाहिए कि जिस कार्यक्रम के लिए ऋण दिया जा रहा है उसकी उत्पादन क्षमता क्या है ? दूसरी बात यह है कि डेरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए उनकी तथा संयुक्त कृषि की सहकारी समितियां बनाकर उनके द्वारा कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने व आय बढ़ाने पर जोर दिया जायें।

पशुपालन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय कृषि पशुपालन के बिना कोरी कल्पना मात्र है। पशु शक्ति, पौष्टिक आहार, खाद, चमड़ा आदि पशुधन की देन मानव कल्याण की वृद्धि में सहायक है किन्तु विडम्बना यह है कि इनकी शारीरिक व उत्पादन शीलता दोनो स्थिति भारतीय पशुधन की है विश्व में सबसे खराब है। इसका प्रमुख कारण, हमारे देश में पशुपालन कृषि कार्य को सम्पन्न करने के लिए ही मुख्य रूप से किया जाता है। धन्धें या रोजगार के साधन के रूप में नहीं इसके प्रमुख रूप से दो कारण है एक तो यह कि दुग्ध का अधिकांश उत्पादन ग्रामीणांचल में होता है जबकि उसकी माँग शहरों में होती है। दूसरा कारण यह है कि भारतीय पशुओं का उत्पादन अत्याधिकम कम होता है अतः उस दुग्ध की अल्प उत्पादन को व्यक्तिगत रूप से कृषक शहरों में बिक्री नही कर पाता क्योंकि परिवहन व्यय आदि की अधिकता के कारण दुग्ध की उस अल्प मात्रा का लाभकारी मूल्य प्राप्त नही हो पाता। यही कारण है कि पशुओं की इतनी बड़ी मात्रा होते हुए भी आजतक भारत में पशुपालन उद्योग धन्धो का रूप प्राप्त न कर सके।

यदि गांव के कृषक मिल जुलकर अपनी- अपनी दुग्ध की अल्प मात्राओं को एकत्रित कर शहर में विपणित करें अर्थात दुग्ध व्यवसाय को सहकारिता के माध्यम से संचालित करें तो उन्हे अपने दुग्ध की अल्प मात्रा का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकता है। परिणामस्वरूप उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा, ग्रामीणांचल में एक रोजगार का सृजन होगा, कृषि पर जनाभार कम होगा एवं पशुओ में स्वास्थ्य सम्बन्धी व उत्पादन सम्बन्धी सुधार होगा । दुग्ध व्यवसाय को सहकारी आधार पर सुचारू रूप से संगठित करने का सरकारी प्रयास स्वतन्त्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हो सका जबकि प्रथम बार डेरी विकास हेतु 19 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 10 करोड़ रूपये व्यय किये गये। ऐसा नहीं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पूर्व दुग्ध सहकारिता की ओर कोई प्रयास न किया गया हो। वर्ष 1949-50 में देश में 535 दुग्ध समितियां कार्य कर रही थी जिनमें 0.50 लाख सदस्य थे। इनके अतिरिक्त 36 दुग्ध संघ थे जिनमें 3529 सदस्य थे इन संघो ने 66.19 लाख रूपये का दुग्ध व्यवसाय किया था । किन्तु वास्तव में ग्रामीण व कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था के लिए उपरोक्त दुग्ध सहकारिता का विकास नगण्य था ।

देश में डेयरी विकास के क्षेत्र में प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां उत्तरोत्तर रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। जैसा कि जनपद कानपुर देहात में संचालित प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :-

तालिका संख्या- बीस

जनपद में कार्यरत प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां

वर्ष	संख्या	सदस्यता	कार्यशील पूंजी हजार रुपये में	वर्ष में कुल विक्रय किये गये उत्पादन का मूल्य । हजार रुपये में ।
1985-86	85	4557	2731	44953
1986-87	124	6641	4872	63159
1987-88	231	11540	6890	79959

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 1987-88 में प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की संख्या, सदस्यता, कार्यशील पूंजी एवं वर्ष में कुल विक्रय किये गये उत्पादन के मूल्य में लगभग 2,1/2 गुना वृद्धि हुई ।

मनुष्य के भोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ दुग्ध ही माना जाता है, कारण यह है कि दुग्ध शरीर का रक्षक व पोषक दोनो ही होता है। इन्डियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की पोषण दात्री समिति के अनुसार एक प्रौढ भारतीय

के सन्तुलित भोजन में प्रतिदिन कम से कम 10 औंस दुग्ध सम्मलित होना चाहिए। परन्तु वर्ष 1960-61 में देश में प्रत्येक व्यक्ति को केवल 4.63 औंस दुग्ध उपलब्ध होने का अनुमान लगाया था। इससे स्पष्ट होता है कि प्राथमिक खाद्य उत्पादनों में दुग्ध का महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी दुग्ध के उत्पादन की मात्रा इतनी कम थी कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधे से भी कम दूध उपलब्ध हो पाता है।

उपर्युक्त स्थिति के कई कारण है। भारत में दुग्ध व्यवसाय का पर्याप्त विकास अभी तक नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां पशुपालन का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः कृषि के लिए पशुओं को प्राप्त करना है साथ ही अपने देश में अन्य देशों की तुलना में भारतीय गाय औसत रूप से बहुत कम (413 पौण्ड) दूध देती है जबकि अमरीका में यह मात्रा 5000 पौण्ड है। डेनमार्क, आयरलैण्ड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में पशुपालन आधुनिक ढंग से किया जाता है। तथा दुग्ध व्यवसाय को विशेष महत्व दिया जाता है भारत में इस प्रकार की दोनों व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जिससे यहां दुग्ध व्यवसाय की स्थिति आज भी सन्तोषजनक नही है। यदि देश की विशाल पशु सम्पत्ति का अनुकूलतम प्रयोग करके दुग्ध व्यवसाय को संगठित किया जाये तो न केवल कृषकों की आय में वृद्धि करने के अवसर मिलेगें, बल्कि उपभोक्ताओं की दुग्ध तथा उससे बने हुए पदार्थों की आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पूर्ति भी हो सकेगी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि दुग्ध व्यवसाय को आधुनिक ढंग से संगठित करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में देखने में यह आया है कि दुग्ध व्यवसाय को लाभदायक बनाने में सहकारी संस्थायें ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक कृषक परिवार के पास बिक्री योग्य जो

दूध होता है उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि उसकी बिक्री शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से करना सम्भव एवं लाभदायक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि सभी कृषक परिवार मिलकर एक सहकारी समिति का गठन करलें तथा समिति के सदस्य दुग्ध की अपनी- अपनी अल्प मात्रा एकत्रित करके समीप के शहरों में अच्छे मूल्यों में बेचने की व्यवस्था कर लें तो निश्चय ही उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलने पर सदस्य अपने पशुओं की दशा सुधारने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होगें। इस प्रकार दुग्ध सहकारिताओं की स्थापना से कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी वे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होगें और दुग्ध समिति उनका परोक्ष रूप से इन कार्यों में न केवल आवश्यक मार्ग दर्शन करेगी बल्कि आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी।

अधिकांश दुग्ध का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है जबकि उसका तथा दूध से बनी वस्तुओं का लाभदायक विपणन शहरी क्षेत्रों में सम्भव होता है। यही कारण है कि दुग्ध सहकारी समितियों एवं संघों की आवश्यकता बड़े-बड़े शहरों एवं नगरों में पर्याप्त मात्रा में दुग्ध की पूर्ति करने के लिए होती है। शहरों में स्थित दुग्ध संघ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अपने सदस्य दुग्ध समितियों से दुग्ध एकत्रित करके शहरी उपभोक्ताओं तक पहुँचने की व्यवस्था करते है इस प्रकार की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए अधिक पूँजी की जरूरत पड़ती है। अतः डेयरी उद्योग को संगठित एवं विकसित करने के लिए सहकारी समितियों एवं दुग्ध संघों का संगठन आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सहकारिता के आधार पर अधिक पूँजी एकत्रित की जा सकती है।

सामान्यता दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना के प्रमुख रूप से निम्न उद्देश्य है :-

1. सदस्यों में मितव्यता की आदत को विकसित करना ।
2. अपनी मदद अपने आप करना और एक दूसरे की मदद करने की भावना का विकास करना ।
3. दुग्ध के अधिक लाभदायक विक्रय सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध करना ।
4. सदस्यों को स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन की वैज्ञानिक विधि की जानकारी कराना ।
5. सदस्यों को समिति को स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन की पूर्ति करने को प्रेरित करना ।
6. सदस्यों को दुधारू पशु क्रय करने में सलाह देना ।
7. सदस्यों को दुधारू पशुओं के रख रखाव सम्बन्धी ज्ञान को देना ।
8. दुधारू पशुओं हेतु हरा चारा उत्पादन करने में सहायता देना ।
9. दुधारू पशुओं के लिए सन्तुलित आहार क्रय करने हेतु सदस्यों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करवाना ।
10. दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं नस्ल में सुधार लाने एवं उसके बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठाना एवं पशुपालन सम्बन्धी अन्य कार्यकलापों को पूरा करना ।
11. सदस्यों को दुग्ध की वसा एवं एस.एन.एफ. आदि की जानकारी कराना ।
12. ऐसे सभी कार्य करना जिनसे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलें ।

विकास खण्ड में दुग्ध सहकारिता

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड अमरौधा में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने दुग्ध व्यवसाय को लाभकारी बनाने, कृषि से जनाभार कम करने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त साधन सृजित करने, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ स्थापित की गई है । वर्तमान समय में विकास खण्ड में निम्नांकित कुल 24 दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां कार्यरत है ।

तालिका संख्या- इक्कीस

विकास खण्ड अमरौधा में कार्यरत दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ

क्रमांक	समिति के नाम	
1.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति,	सहाबापुर
2.	" " ,	चिचियापुर
3.	" " ,	खिरियनपुर
4.	" " ,	सुल्तानपुर
5.	" " ,	नथुआपुर
6.	" " ,	महकापुर
7.	" " ,	प्रेमपुर
8.	" " ,	नोनापुर
9.	" " ,	जहाँगीरपुर
10.	" " ,	जरैलापुर
11.	" " ,	इटवापुर
12.	" " ,	शेखपुर
13.	" " ,	सुजौर
14.	" " ,	गढ़ाइखेड़ा
15.	" " ,	कल्ना
16.	" " ,	रामपुर हराहरा
17.	" " ,	सुजगवाँ
18.	" " ,	मोचा
19.	" " ,	महेरा
20.	" " ,	जारी
21.	" " ,	अमिलिया
22.	" " ,	सराय
23.	" " ,	गौरी
24.	" " ,	नगीना

विकास खण्ड की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में इन समितियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किन्तु वास्तव में इन समितियों को बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है जिसका प्रमुख कारण इनकी अपनी कुछ समस्यायें है। अतः विकास खण्ड अमरौधा में इन प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की सम्भावनाओं व समस्याओं के अध्ययन हेतु निम्नांकित 10 समितियों का सर्वे किया गया है :-

तालिका संख्या- बाइस

अध्ययन हेतु चुनी गई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

क्रमांक	समिति का नाम	स्थापना वर्ष
1.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति , मांचा	10 दिसम्बर 86
2.	" " , सुजगवां	9 अप्रैल 87
3.	" " , सुल्तानापुर	10 सितम्बर 86
4.	" " , महेरा	10 दिसम्बर 87
5.	" " , जहांगीरपुर	3 मार्च 87
6.	" " , डढ़वापुर	5 दिसम्बर 86
7.	" " , प्रेमपुर	2 फरवरी 87
8.	" " , कल्ला	18 दिसम्बर 86
9.	" " , जैतलापुर	18 फरवरी 86
10.	" " , गदाईखेड़ा	3 जनवरी 87

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड में समितियों की स्थापना वर्ष 1986 से प्रारम्भ हुई है। वास्तव में विकास खण्ड में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वर्ष 1986 के पूर्व विकास खण्ड में दुग्ध व्यवसाय सहकारी रूप से संगठित नहीं था। इसके पूर्व दुग्ध की अल्प मात्रा, कृषकों की आर्थिक स्थिति का खराब होना, सस्ते परिवहन का अभाव पशुओं का स्वास्थ्य खराब होना आदि ऐसे तथ्य थे, जो कृषकों को अपने उत्पादन को गांव में ही शहरों से आने वाले डिब्बा बंद व्यवसाइयों को विपणित करने पर मजबूर थे। इन व्यवसाइयों द्वारा एक ओर मनमाने ढंग से दुग्ध का मूल्य कम से कम निश्चित किया जाता था तो दूसरी ओर प्रति लीटर अधिक दूध की मात्रा ली जाती थी। इसी प्रकार दुग्ध व्यवसाइयों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का शोषण किया जाता था। यद्यपि वर्तमान समय में इन दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के द्वारा व्यवसाइयों द्वारा होने वाले शोषण किसी सीमा तक रूका है कृषकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होना शुरू हुआ है, फलस्वरूप उन्होंने पशुधन के महत्त्व को समझते हुए इन्हीं व्यवसाईक आधार पर पालना प्रारम्भ कर दिया तथापि यह कार्य विकास खण्ड के कुछ समिति क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया किन्तु धीरे धीरे इस आन्दोलन की उपयोगिता को कृषक समझ रहे हैं और निरन्तर इन दुग्ध उत्पादन समितियों से जुड़ते जा रहे है इस तथ्य को निम्नांकित तालिका प्रदर्शित करती है -

तालिका संख्या- तेइस

दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगति

क्रमांक	समिति का नाम	स्थापना वर्ष में सदस्यों की संख्या	वर्तमान में सदस्यों की संख्या	सदस्यों की सं0 में वृद्धि
1.	दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति - मांचा	47	124	77
2.	" " सुजगंवा	30	61	31
3.	" " सुल्तानापुर	79	86	07
4.	" " महेरा	57	82	25
5.	" " जहांगीरपुर	23	106	83
6.	" " इद्वनापुर	38	117	79
7.	" " प्रेमपुर	29	87	58
8.	" " कल्ला	42	97	55
9.	" " जरैलापुर	47	110	63
10.	" " गदाईखेड़ा	32	77	45

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्थापना वर्ष से अब तक के समय अन्तराल में प्रत्येक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ने अपनी सदस्यता में अच्छी प्रगति की है। प्रारम्भिक अवस्था में वर्तमान स्थिति तक का निरीक्षण करने पर पता चलता है सबसे अच्छी प्रगति दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मांचा ने प्रगति की है। प्रारम्भिक अवस्था में इस समिति में सदस्यों की संख्या 47 थी जो 4 वर्ष के अन्तराल में 124 हो गई। यदि प्रति वर्ष औसत सदस्यता वृद्धि की दृष्टि से विचार करें तो दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति ढवापुर की स्थिति सर्वाधिक सुदृढ है। यद्दपि 4 वर्ष के अन्तराल में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मांचा की तुलना में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति ढवापुर 7 सदस्य कम बना पाई है। किन्तु प्रति वर्ष औसत सदस्यता वृद्धि की दृष्टि से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ढवापुर का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मांचा की प्रतिवर्ष औसत सदस्यता वृद्धि लगभग 16 सदस्य है जबकि ढवापुर की लगभग 19 सदस्य है। सबसे खराब स्थिति प्रति वर्ष औसत सदस्यता वृद्धि की दृष्टि से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सुल्तनापुर की है जिसकी औसत सदस्यता वृद्धि मात्र लगभग 2 सदस्य रही है। यदि सदस्यता वृद्धि मात्र लगभग 2 सदस्य रही है यदि विकास खण्ड में संचालित सभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का औसत कार्यकाल तीन वर्ष मान लें तो उनकी औसत प्रतिवर्ष सदस्यता वृद्धि लगभग 42 सदस्य है जो कृषि प्रधान विकास खण्ड की दृष्टि से कम है।

सदस्यता :-
===========

भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि जहां सामान्यतः ग्राम सहकारिता सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है वहाँ अलग से दुग्ध उत्पादन समिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तथा दुग्ध संग्रह करने एवं सदस्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के कार्य भी ग्राम सेवा सहकारिता को मानते हुए पशुपालन एवं डेयरी सहकारिताओं पर कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया है कि जहां प्रभावकारी ग्राम सेवी सहकारितायें नही है या जहाँ पर दुग्ध उत्पादक केन्द्रित है, चाहे वे कृषक हो या नहीं हो इस शर्त के साथ दुग्ध उत्पादकों की अलग ही सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिए कि वे आर्थिक दृष्टि सक्षम इकाइंया हो ।

ग्रामीण क्षेत्रों में वे कृषक जिनके पास बिक्री योग्य दुग्ध की मात्रा होती है, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य बनजाते है दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के यह सदस्य उत्पादित दुग्ध की अतिरिक्त मात्रा समिति के संग्रहण केन्द्र में एकत्रित करने तथा उसे अकबरपुर कानपुर देहात में स्थित चिलिंग सेन्टर तक पहुँचाने की व्यवस्था करती है। यद्दपि समिति से दुग्ध उठाने की व्यवस्था चिलिंग सेन्टर ही करता है किन्तु चिलिंग सेन्टर से सम्पर्क गांव के निकट की सड़क तक दुग्ध पहुँचाना गाड़ी पर लदान एवं स्वयं की जोखिम पर दुग्ध को चिलिंग सेन्टर की गाड़ी द्वारा समिति के किसी सदस्य की बिना देखरेख में चिलिंग सेन्टर अकबरपुर भेज देना आदि कार्य अप्रत्यक्ष रूप से दुग्ध समिति द्वारा दुग्ध को चिलिंग सेन्टर तक पहुँचाने की व्यवस्था के अन्तर्गत ही आते है। चिलिंग सेन्टर एकत्रित दुग्ध को मिल्क बोर्ड कानपुर

को पहुँचाता है । चिलिंग सेन्टर द्वारा समिति के सचिव को एवं समिति के सचिव द्वारा दुग्ध उत्पादक को उसके द्वारा दिये गये दुग्ध के मूल्य का साप्ताहिक भुगतान किया जाता है। दुग्ध का मूल्य चिलिंग सेन्टर को समिति द्वारा दिये गये दुग्ध में पाई जाने वाली वसा के आधार पर निश्चित किया जाता है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां मिल्क बोर्ड, निराला नगर कानपुर की सदस्य होती हैं। समितियों द्वारा अपने सदस्यों से दुग्ध एकत्रित करके मिल्क बोर्ड के दुग्ध की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तथा उनको बेचे गये दुग्ध के मूल्य का भुगतान किया जाता है। मिल्क बोर्ड से सम्बद्ध होने के कारण इन समितियों को उपभोक्ताओं को दुग्ध बेचने की व्यवस्था स्वयं नहीं करनी पड़ती है। अतः इन समितियों का कार्य केवल दुग्ध एकत्रित कर चिलिंग सेन्टर अकबरपुर, कानपुर देहात तक पहुँचाने की व्यवस्था तक ही सीमित होता है।

अध्ययन की गई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सचिवों व समितियों के सदस्यों के अनुसार कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है।

सदस्यता हेतु आवश्यक शर्तें :-
======================

1. कोई व्यक्ति जो समिति के कार्य क्षेत्र में निवास करता हो, साधारणतया समिति का कार्य क्षेत्र एक ग्राम ही होता है, किन्तु ग्राम छोटा होने या दुग्ध उत्पादन कम होने या अन्य करीब के गांव के कृषकों । पशुपालकों । के अनुरोध पर कार्यक्षेत्र का विस्तार मिल्क बोर्ड की अनुमति पर बढ़ाया जा सकता है।

2. कम से कम 18 वर्ष की उम्र का हो ।

3. जिसका मस्तिष्क स्वस्थ हो अर्थात् पागल न हो ।

4. जिसका चाल चलन अच्छा हो अर्थात् ईमानदार, चरित्रवान, निष्ठावान, लगनशील व परिश्रमी हो, समाज विरोधी कार्यों में कभी सम्बद्ध न पाया गया हो ।

5. दुग्ध उत्पादक हो अर्थात् जो स्वयं दुधारू पशुओं को पालता हो ।

6. स्वयं द्वारा उत्पादित दुग्ध का व्यापार न करता हो ।

7. दिवालिया घोषित न हो या उक्त आशय की नोटिस न दी हो ।

8. समिति को विगत समय में नुकशान न पहुँचाया हो अर्थात् सदस्य बनने से पूर्व यदि कभी वह समिति का सदस्य रहा हो या न रहा हो समिति को या समिति के सदस्यों को या किसी कर्मचारी को आर्थिक या सामाजिक नुकशान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न पहुँचाया हो या विश्वासघात या कपटपूर्ण या जानबूझकर समिति की परि-सम्पत्ति या कर्मचारी या अधिकारी को हानि न पहुँचाई हो, जिसके लिये उस पर फौजदारी का मुकदमा कायम हो सकता हो या हुआ हो ।

9. समिति का प्रवेश शुल्क 1.00 मात्र अदा किया हो ।

10. घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये हो ।

11. सदस्य बनने की तिथि से दो वर्ष तक समिति द्वारा निकाला न गया हो, यदि निकाला गया है तो निष्कासन तिथि से दो वर्ष की अवधि तक समिति का सदस्य नही बन सकता है दो वर्ष बाद सदस्य बन सकता है किन्तु पुनः सदस्य बनने की तिथि तीन वर्ष तक प्रबन्ध समिति में निर्वाचन के लिए खड़ा नही हो सकता है।

12. (क) श्रेणी का समिति का हिस्सा खरीदा हो ।

टिप्पणी :- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अंश पूँजी के निर्माण हेतु दो प्रकार के हिस्सों का - 1. "क" श्रेणी के व 2. "ख" श्रेणी के, निर्माण,

"क" श्रेणी के हिस्से समिति के सदस्यों हेतु होते है जो रूपया 10.00 मात्र प्रति हिस्से मूल्य के असीमित संख्या में होते है।

"ब" श्रेणी के हिस्से राज्य सरकार हेतु प्रति हिस्सा मूल्य रुपया 100.00 मात्र के होते है, जिनकी प्रायः संख्या 100 होती है किन्तु वास्तव में इनकी संख्या दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा हिस्सों के क्रय की शर्तें समिति व सरकार के मध्य क्रय के पूर्व वार्ता द्वारा निर्धारित होती है। इन्ही शर्तों के आधार पर इन हिस्सो की पूँजी समिति द्वारा राज्य सरकार को वापस की जाती है।

13. सहकारी वर्ष में 180 दिन समिति को दुग्ध देने का वचन दिया हो ।

टिप्पणी :- सहकारी वर्ष से आशय । जुलाई से 30 जून के मध्य का समय ।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति प्रथम 90 दिन निरन्तर दुग्ध समिति को देने पर समिति का नाम मात्र का सदस्य बनाया जाता है। 90 दिन सफलता पूर्वक दुग्ध की आपूर्ति करने पर समिति का सदस्य घोषित किया जाता है।

ग्रामीण व्यक्तियों के अतिरिक्त राज्य सरकार भी समिति की सदस्य बन सकती है यदि वह सहकारी दुग्ध संघ के माध्यम से समिति के "ब" श्रेणी के हिस्से, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित शर्तों व हिस्सों की संख्या को क्रय करने को तैयार हो उन हिस्सो की पूरी कीमत चुकाने का तैयार हो ।

समिति द्वारा सदस्य को प्राप्त सुविधायें

सितम्बर 1969 में सहकारी दुग्ध संघो के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन ने निश्चित किया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का स्वरूप इस प्रकार का हो कि वे व्यावसायिक पद्धति से दुग्ध उद्योग के विकास के लिए स्वावलम्बी इकाई के रूप में खड़ी हो सकें तथा इस प्रारम्भिक स्तर पर अलग- अलग दुग्ध समितियां बनाई जाये,

क्योंकि दूध देने वाले अधिकांश पशु गांव में रखे जाते है जो प्राय: छोटे उत्पादकों में से प्रत्येक के पास दो या तीन होते है। अत: चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारी क्षेत्र में डेयरी कार्यक्रमों का और विस्तार करने पर अधिकांश बल दिया गया है, और यह निश्चय किया गया कि जहाँ तक सम्भव हो डेयरी योजनाये सहकारी क्षेत्र में गठित की जायेगी । और सहकारी दुग्ध संयन्त्रों की प्रणाली सहकारीकरण की दिशा में कार्य करना । आवश्यक होगा इससे दुग्ध के एकत्रीकरण से लेकर ढुलाई और पास्तुरीकरण एवं वितरण तक का कार्य संगठित किया जा सकता है। वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार दुग्ध सहकारी समितियां केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपने सदस्यों को दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है।

यदि अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड अमरौधा में संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं पर विचार करें तो सर्वे की गई समितियों के सदस्यों के अनुसार उन्हें समिति से निम्नांकित सुविधायें प्राप्त होती है।

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सदस्यों से दुग्ध संग्रह करती है इसका प्रतिफल यहहोता है कि सदस्य को जहां एक ओर दुग्ध व्यवसायों के व्यवसाइयों के शोषण से बच जाता है वही दूसरी ओर उन्हें उनके दुग्ध की अल्प मात्रा का उचित लाभकारी मूल्य भी प्राप्त होता है, जो व्यक्तिगत स्तर पर सम्भव नहीं है। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सदस्य की दुग्ध विपणित करने की समस्या का समाधान करती है।

2. समिति द्वारा साप्ताहिक या पाक्षिक बोनस प्रदान किया जाता है तथा एक वर्ष में समिति को होने वाले शुद्ध लाभ में से वर्षांक लाभांश भी वितरीत किया जाता है।

3. दुधारू पशुओं के लिए सन्तुलित आहार सस्ते दामों पर वितरित किया जाता है जिससे कि दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य व उत्पादन शीलता में वृद्धि की जा सकें और उसे बनाये रखा जा सकें ।

4. पशु आहार में हरे चारे का विशेष महत्व होता है। हरा चारा जहाँ एक ओर पशुओं के लिए रूचिकर पाचक व स्वास्थ्य वर्द्धक होता है वही दूसरी ओर इसकी उपलब्धता होने पर पशुपालक को पशु आहार में दाना कम देना होता है, क्योंकि हरा चारा पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारतीय कृषक के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या वर्ष भर हरे चारे का प्राप्त करने की होती है , इसका प्रमुख कारण यह है कि उन पर हरे चारे की ऐसी प्रजातियों के बीज सुगमता से सुलभ नही होते है जिनके द्वारा अधिक उत्पादन के साथ ही साथ वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध करा सकें । इस समस्या के निदान हेतु समिति अपने सदस्यों को उन्नतशील हरे चारे की प्रजातियों के बीज जैसे जई, बरसीम आदि को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती है।

5. दुधारू पशुओं के अस्वस्थ होने पर सदस्य द्वारा समिति को सूचित करने पर समिति का सचिव चिलिंग सेन्टर अकबरपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों के दुधारू पशुधन हेतु मिल्क बोर्ड द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सक को चिकित्सा हेतु उपलब्ध कराता है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को चिकित्सा शुल्क देय नही होता है जबकि अन्य सामान्य वर्ग के सदस्यों को प्रथम बार पशु चिकित्सक के आने पर चिकित्सा शुल्क के रूप में रूपया 25.00 रू. मात्र तथा पुनः आने पर रूपया 15.00 मात्र प्रत्येक बार देय होता है।

6. दुधारू पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा तुरन्त प्राप्त हो सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति किसी सदस्य को मिल्क बोर्ड द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सक से

निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करती है। आवश्यकता पड़ने पर समिति के किसी सदस्य द्वारा इस प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवा प्राप्त करने हेतु चिकित्सा शुल्क रूपया 1.00 मात्र अदा करना होता है।

7. भारतीय दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन अत्यन्त्र असन्तोषजनक है, इसके सुधार हेतु देश में कृत्रिम गर्भाधान को अपनाया गया है । नई दुधारू नस्ल को विकसित करना एवं विकसीत नस्ल को बनाये रखना, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सकें । दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सदस्यों को " दरवाजे पर सेवा" के उद्देश्य से समिति के ही किसी सदस्य को मिल्क बोर्ड द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सक से कृत्रिम गर्भाधान का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करती है। समिति के सदस्य को अपने दुधारू पशु के कृत्रिम गर्भाधान कराने पर शुल्क के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति को रूपया 1.00 मात्र प्रति पशु देय होता है।

8. सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पशुपालन को उद्योग धन्धे के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से समिति सदस्यों को सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है।

अध्याय- सात

अध्याय - सात दुग्ध सहकारी समितियों के क्रियाकलाप

==

सहकारिता मानव जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवंम् शैक्षिक क्षेत्रों में अर्थात् प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रमुख सिद्धान्त के रूप में कार्य करती है। यह मानवता की संघीय भावना, जो सदा विद्यमान रही है का एक होती है। पारिवारिक जीवन की एकता एवंम् उसकी व्यवस्था पारस्परिक सहयोग एवम् सहायता के बिना असम्भव होती है जब तक इसी प्रकार शासन एवम् शासित के बीच सहयोग नही होता जब तक राज्य की क्रमिक प्रगति नहीं हो सकती औद्योगिक क्षेत्र में भी औद्योगिक शान्ति एवम् आर्थिक विकास के लिए मालिक और मजदूर के बीच सहयोग का होना बहुत आवश्यक होता है। वास्तव में यह कहना अत्युक्ति न होगी कि " मनुष्य एक सहकारी जीव है। मानव समाज प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल उस समय ही छिन्न भिन्न हो सकता है जब लोगो में सहकारिता का अभाव होगा । इस सन्दर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू के शब्द समाचीन होगें - " सहकारिता मुझे किसी भी दूसरे आन्दोलन की अपेक्षा अधिक प्रिय है क्योंकि यह जीवन दर्शन है। सहकारिता के जरिये न केवल भारत की आर्थिक मुश्किलें वरन् विश्व की सभी समस्याये आसानी से सुलझाई जा सकती है।

सहकारी दुग्ध समितियां सहकारी कृषि का एक प्रमुख रूप है। भारत की सहकारी दुग्ध आपूर्ति समितियों में दुग्ध आपूर्ति समितियां आती है ये समितियां अपना संघ बनाती है और उचित मूल्य पर दूध बेचती है संघ के निर्माण का कार्य विशेषतया नगर के उपभोक्ता करते है इस प्रकार यह उत्पादक एवंम् उपभोक्ता दोनो के हितों की रक्षा करते है वैसे हमारे देश में दूध का उत्पादन एवम् उपभोग बहुत ही

कम है । इसी कारण यहां दुग्ध सहकारी समितियों ने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दूध बेचने के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है जबकि शेष राज्यो में यह आन्दोलन या तो प्रारम्भ ही नही हुआ है या शैशवावस्था में ही भारत में कुल 10 ही ऐसी सहकारी दुग्ध समितियां है जो आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित है इनमें से 7 उत्तर प्रदेश में है।

अध्याय- आठ, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां समस्यायें एवं सुझाव

यह अध्ययन अमरौधा विकास खण्ड कानपुर देहात में कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों से सम्बन्धित है। इस विकास खण्ड में कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियां अपने शैशवावस्था में है चाहे वह सदस्यता के सन्दर्भ में हो या कार्यशील/जमा पूँजी के संदर्भ में हो या कुल शुद्धलाभ के सन्दर्भ में हो। समितियां सदस्यों से दुग्ध एकत्रित करती है और चिलिंग सेन्टर के वाहन से समस्त एकत्रित दुग्ध मिल्क बोर्ड कानपुर भेजा जाता है वास्तव में स्थापना वर्ष से वर्तमान समय तक की अवधि में समितियों द्वारा कृषकों के उत्थान हेतु बहुत अधिक आशातीत सफलता नहीं प्राप्त की है । जैसा कि सर्वे की गई 10 समितियों की आर्थिक स्थिति के अवलोकन से ज्ञात होता है। यद्दपि समितियों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था कि पशुपालकों को उनके दुग्ध का लाभकारी मूल्य दिलाना या दुग्ध व्यापारियों के शोषण से मुक्ति दिलाना, इस ओर समितियों निरन्तर संघर्षरत है किन्तु सदस्यता की दृष्टि से कहा जा सकता है कि समितियों ने अपने कार्य क्षेत्र में कोई आशातीत सफलता प्राप्त नहीं की है क्योंकि ग्रामीणांचल के वे क्षेत्र जहां परिवहन के आधुनिक साधन अनुपलब्ध है समितियां उन क्षेत्रों को अपने कार्य क्षेत्र में नहीं ले पाई है दूसरी ओर जिन ग्रामों में समितियां कार्यरत भी है वहां भी पशु पालकों को बहुत बडे तबके की हिस्सेदारी अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है कारण समितियों की अपनी समस्यायें प्रचार प्रसार की कमी दुग्ध के मूल्यों की निम्नदर और इन सब तथ्यों से भी महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि दुग्ध मूल्य की प्राप्ति के अतिरिक्त पशु सुधार कार्यक्रमों की प्रभावपूर्ण योजनाओं का समितियों के पास न होना । आम पशुपालकों की यह धारणा है कि जब तक समितियों के माध्यम से उसे पशु

सुधार हेतु सुविधायें प्राप्त नहीं होती तब तक समितियों की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता कारण समस्या दुग्ध के लाभकारी मूल्य की प्राप्ति तो ही है । किन्तु उससे बड़ी समस्या पशु सुधार की है क्योंकि बिना पशु सुधार के दुग्ध उत्पादकता नहीं बढाई जा सकती तथा वर्तमान पशुओं के अल्प दुग्ध उत्पादन पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं रहा जा सकता अर्थात् जब तक पशु सुधार न होगा तब तक दुग्ध उत्पादकता न बढेगी और जब तक दुग्ध उत्पादकता न बढेगी तब तक दुग्ध को उद्योग के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है इस सबका अर्थ यह हुआ कि दुग्ध सहकारी समितियों की सही उपयोगिता हेतु समितियों को पशु सुधार कार्यक्रमों को भी सौंपना होगा ।

प्रश्न उठता है कि सरकारी व गैर सरकारी विभिन्न प्रयासों के बावजूद दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सकी इस सम्बन्ध में जब ब्लाक अमरौधा के अन्तर्गत 24 समितियों में से 10 का सर्वे किया तो समितियों के कर्मचारियों, सदस्यों व समितियों के कार्य क्षेत्र में निवास कर रहे पशु पालकों ने समितियों के सम्बन्ध में कुछ समस्याओं का उल्लेख किया जिसमें मुख्य रूप से निम्नवत् थी -

समस्यायें :- कर्मचारियों द्वारा बताई गई -

1. समिति के सचिवों द्वारा बताया गया कि सर्व प्रथम दुग्ध को हम लोग सदस्यों से एकत्रित करते है चिलिंग सेन्टर द्वारा प्रदत्त विशेष प्रकार के बर्तनों में प्रत्येक सदस्य के दुग्ध की मात्रा को उसके सामने तौलकर नोट करते है फिर कुल प्राप्त दुग्ध को समीप की सड़क तक पहुँचाते है जहाँ पर चिलिंग सेन्टर तक वाहन जिसमें चिलिंग सेन्टर का कर्मचारी होता है उस दुग्ध को बिना नाप तौल के ले

जाता है हमारी नाप को नोट भी नहीं किया जाता है चिलिंग सेन्टर में दुग्ध की पुनः माप तौल होती है और समिति अनुसार दुग्ध नोट कर लिया जाता है सवाल यह है कि चिलिंग सेन्टर द्वारा वाहन पर भेजे गये व्यक्ति द्वारा यदि रास्ते में दुग्ध की मात्रा में गड़बड़ी की जाती है तो हानि तो समिति को उठानी पड़ती है क्योंकि मिल्क बोर्ड द्वारा दुग्ध मूल्य तो वही प्राप्त होगा जो चिलिंग सेन्टर में दुग्ध की नाप तौल में मात्रा होगी इधर सदस्य को दुग्ध की उस मात्रा का मूल्य देना होता है जो समिति में तौल के समय प्राप्त हुई हो । अतः या तो वाहन के साथ समिति का कर्मचारी भी आये या समिति में कुल दुग्ध तौल के समय चिलिंग सेन्टर का कर्मचारी रहे या वाहन में तौल की व्यवस्था हो साथ ही चिलिंग सेन्टर का कर्मचारी दुग्ध की कुल मात्रा की रसीद दें ।

2. समितियों में वेतनभोगी कर्मचारियों का अभाव है ऐसी स्थिति में समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में अत्यधिक दिक्कत प्राप्त होती है वर्तमान आर्थिक युग में निःशुल्क सेवा हेतु सदस्य भी कार्य करने से कतराते है। अतः सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की जायें ।

3. कमेटी द्वारा कर्मचारियों जैसे सचिव आदि को बिना कारण निकालने का अधिकार प्राप्त है इस कारण हर समय सचिव व अन्य कर्मचारी निकाले जाने के भय से भयग्रस्त रहते है जिसका कुप्रभाव उनकी कार्यकुशलता पर पड़ता है ।

4. कमेटी के कर्मचारी रखने का पूरा अधिकार प्रदत्त है इस हेतु किसी भी प्रकार की योग्यता या अर्हता सुनिश्चित नही है जो एक ओर कमेटी के अधिकारो के दुरूपयोग की सम्भावनाओं को प्रकट करते है वही दूसरी ओर एकाधिकार को भी । ऐसी स्थिति में नियुक्त कर्मचारी इस भय से भी सशंकित रहता है कि पता नहीं कब उसे निकाल दिया जाये कमेटी किसी अन्य को रख ले एक प्रकार से समिति में कार्यरत

कर्मचारियों की कमेटी की कृपा पर ही कार्यरत होते है ।

5. सरकार द्वारा जो ऋण कृषको को पशु क्रय हेतु दिये जाते है उन ऋणों के देने में समिति की संस्तुति नही की जाती फलस्वरूप जहॉं एक ओर वास्तविक आवश्यकता अन्य व्यक्ति ऋण से वंचित रह जाता है वही दूसरी ओर समिति की सदस्यता भी प्रभावित होती है कारण यदि ऋण समिति की संस्तुति पर दिया जावें तो पशु मालिक समिति से सीधा जुडेगा ।

6. समितियों के पास अपना कोई भवन भी नही है भवन की समस्या सभी समितियों में विशेष रूप से देखने में आई ज्यादातर समितियाँ सचिव के घरो पर चल रही थी सचिव चूँकि उक्त ग्राम का ही होता है अत: गाँव के तमाम सारे लोग सचिव के घर जाना पसन्द नहीं करते फलस्वरूप सदस्यता प्रभावित होती दूसरा जिन भवनों में समिति कार्यरत होती है वहॉं उन भवनों की हालत जर्जर नमीयुक्त, गन्दा वातावरण आदि से परिपूरित होता है जबकि दुग्ध एकत्रीकरण हेतु अत्यन्त स्वच्छ व पक्का भवन आवश्यक होता है जहॉं स्वच्छ वातावरण हो जिससे दुग्ध को स्वच्छ रखा जा सकें ।

7. समितियों को सरकार द्वारा कोई अनुदान प्राप्त न होने के कारण भवन कर्मचारी प्रचार-प्रसार आदि समस्याओं को जन्म मिलता है दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं के समय यह अनुदान पशु पालकों को मददगार हो सकता है जिससे आम पशु पालक का रूझान समिति की ओर किया जा सकें सरकारी प्रचार माध्यमों से सहकारी दुग्ध उत्पादन के महत्व को प्रचारित नही किया जाता है यदि यह कार्य सरकारी स्तर पर किया जाये तो निश्चित ही गावों को अशिक्षित पशुपालकों के रूझान को समितियों की ओर मोड़ा जा सकता है तो दूसरी ओर जो यह धारणा गाँव के आम पशु पालकों में व्याप्त है ।

कि सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियाँ गांव के कुछ व्यक्तियों का संगठन मात्र निहित स्वार्थ वश है।

समितियों की विश्वसनीयता सरकारी प्रचार माध्यम में स्थान पा जाने से बढ जायेगी और गांव का आम अशिक्षित भी इस आन्दोलन से जुडने का प्रयास करेगा ।

9. सहकारी शिक्षा की व्यवस्था की समुचित व्यवस्था ग्रामों में न होने से भी इस आन्दोलन को काफी नुकसान हुआ है। सरकारी प्रयास यह होना चाहिए कि विभिन्न प्रचार प्रसार माध्यमों का सहारा लेकर इस कार्य को आगे बढाये साथ शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर भी इसे समाहित करने का प्रयास किया जायें सहकारिता अपनाने के कार्यों को घर-घर व व्यक्ति- व्यक्ति तक पहुँचाया जायें ।

10. सदस्यों को सहकारिता के सम्बन्ध विचार गोष्ठियों, सेमिनार प्रशिक्षण तथा अत्याधिक पिछड़े समाज को दृश्य श्रृण सामाग्री के माध्यम से दुग्ध उद्योगो के सहकारी माध्यम से अपनाने के लाभ बताये जायें ।

11. पशु सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो पशु नस्ल सुधार हेतु क्रास बीडिंग का सामान ही समितियों के पास है और नही अत्याधिक प्रशिक्षित कर्मचारी मिल्क बोर्ड द्वारा समिति के किसी सदस्य को निःशुल्क क्रास बीडिंग का एक पखवारे का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। जो अपर्याप्त है वास्तव में दुग्ध उत्पादन बढाने हेतु पशु की नस्ल को सुधारना होगा जिस हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति व पर्याप्त सामान की व्यवस्था करनही होगी ।

12. यद्यपि मिल्क बोर्ड द्वारा चिलिंग सेन्टर पर एक पशु चिकित्सक नियुक्त होता है जिसकी सेवा समिति के सदस्य को 25/= सामानय वर्ग व अनुसूचित हेतु की । समिति के बुलावा पर प्राप्त होती है वास्तव में यह चिकित्सक समिति से इतनी दूर होता है तो दूसरी ओर वहाँ तक सूचना पहुँचाना मुश्किल होता है तो दूसरी ओर

चिकित्सक मात्र परामर्श चिकित्सक का कार्य करते है, क्योंकि दवा के नाम पर इन पर कुछ भी नही होता है अतः एक तो प्रत्येक समिति पर चिकित्सक हो दूसरे दवाओं की उपलब्धता हो या सदस्य को यह छूट हो कि वह समीप के चिकित्सक की सेवा ले लें आवश्यक आर्थिक सहायता समिति/ सरकार द्वारा दे दी जायेगी ।

13. पशु सुधार में दूसरा लक्ष्य पौष्टिक भोजन महत्वपूर्ण होता है समिति में उन्नत शील बीजों की सरकारी आपूर्ति नाम मात्र की है साथ ही इनकी असमय आपूर्ति है तीसरा इनका मूल्य बाजारू मूल्य से काफी अधिक होता है जिससे आम सदस्य लेने से कतराता है । अतः 1. बीज की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो 2. समय पर हो, 3. बाजार कीमत,

सर्वे की गई कुल 10 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

समिति का नाम/स्थापना	सदस्यों की संख्या 31 दि. 1989 तक.	स्थापना वर्ष में	शुद्ध लाभ रु0 में । जुलाई 88 से 31 मार्च 89 तक	कुल लाभ रु0 में 1.7.88 से 31.3.89 तक
मांचा/ 10.12.86	124	47	14712=19	24329=31
सुजगवां/9.4.87	61	30	9861=03	13587=58
सुल्तानपुर/10.9.86	86	79	10987=70	18760=00
महेरा/10.12.87	82	57	11976=11	20712=53
जहांगीरपुर/3.3.87	108	23	13813=15	24997=25
डढ़वापुर/ 5.12.86	107	38	13512=11	21857=55
प्रेमपुर/ 2.2.87	87	29	12815=90	21997=18
कल्ला/ 18.12.86	97	42	12087=25	21614=90
जरैलापुर/18.2.86	110	47	12317=20	22427=40
गटाइखेड़ा/3.1.87	77	32	11869=07	16620=78
योग -	947	424	1,23,951=71	20,6,904=69